

शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर

जिला—सूरजपुर(छ.ग.)

प्राचार्य एवं संरक्षक
डॉ. एस. एस. अग्रवाल
मो. नं. — 9425585792

सत्र 2016–17

- 01 शिक्षण सत्र दिनांक **16.06.2016** से प्रारंभ होगा।
- 02 परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन के भीतर सम्बंधित प्रवेश समिति से प्रवेश ले लेवें। विलम्ब से प्राप्त प्रवेश आवेदन पर विचार नहीं होगा।
- 03 प्रवेश लेने के एक सप्ताह पश्चात छात्र/छात्रा अपना प्रवेश पत्र सम्बंधित प्रवेश समिति से प्राप्त कर लें, तथा अपना परिचय—पत्र एवं लायब्रेरी कार्ड बनवा लें।
- 04 महाविद्यालय में अनुशासन एवं पठन—पाठ में छात्र/छात्राओं का सहयोग अनिवार्य है, महाविद्यालय के वातावरण में अशांति फैलाना दण्डनीय है।
- 05 महाविद्यालय परिसर में मोबाइल पूर्णत प्रतिबंधित है।
- 06 कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
- 07 अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं अपना छात्रवृत्ति आवेदन पत्र समय पर जमा करें।
- 08 अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, आंदोलन/हड्डताल/हिंसक कार्यवाही एवं अन्य किसी प्रकार के दुराचरण के दोषी पाये गये छात्र का प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
- 09 प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर ही दिया जायेगा। जो आवेदक बाह्य दबाव के आधार पर प्रवेश पाने का प्रयास करेगा, उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- 10 अवधान राशि (कॉशनमनी) देय होने पर रसीद जमा के पश्चात मनीआर्डर द्वारा सम्बंधित के पते पर भेजी जावेगी।

शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर
महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम

संकाय	कक्षा	विषय
कलासंकाय	स्नातक	हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीतिविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र
	स्नातकोत्तर	हिन्दी, राजनीतिविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र (सेमेस्टरप्रणाली)
वाणिज्य संकाय	स्नातक	सभी अनिवार्य विषय
	स्नातकोत्तर	एम. काम. (सेमेस्टरप्रणाली)
विज्ञानसंकाय	स्नातक	वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र, भौतिक, गणित
कम्प्यूटर	स्नातक	बी.सी.ए.
	डिप्लोमा	डी.सी.ए., पी.जी.डी.सी.ए.

महाविद्यालय की सेट-अप की जानकारी

पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	रिक्त पद के विरुद्ध अध्यापन का कार्यअतिथिव्याख्याताओं से करायाजाताहै।
प्राचार्य	1	1	0	

प्राध्यापक

हिन्दी	1	—	1	
राजनीति	1	—	1	
समाजशास्त्र	1	—	1	
अर्थशास्त्र	1	—	1	
वाणिज्य	1	—	1	

सहायकप्राध्यापक

हिन्दी	1	1	0	
अंग्रेजी	1	1	0	
राजनीति	2	1	1	
समाजशास्त्र	1	1	0	
इतिहास	1	1	0	
अर्थशास्त्र	1	—	1	
वाणिज्य	1	—	1	
रसायनशास्त्र	1	—	1	
वनस्पतिशास्त्र	1	—	1	
जन्तुविज्ञान	1	—	1	
भौतिक	1	—	1	
गणित	1	—	1	
ग्रंथपाल	1	—	1	
क्रीड़ाधिकारी	1	—	1	

तृतीय श्रेणी

छात्रावास अधीक्षक	1	1	0	
सहायकग्रेड-1	1	1	0	
सहायकग्रेड-2	1	1	0	
सहायकग्रेड-3	2	—	2	
प्रयोगशालाशिक्षक	2	1	1	

चतुर्थश्रेणी

प्रयोगशालापरि.	2	0	2	
बुकलिफ्टर	1	1	0	
भृत्य	2	2	0	
चौकीदार	1	1	0	
स्वीपर	1	1	0	
भृत्य छात्रावास	2	0	2	
स्वच्छकछात्रावास	1	0	1	
अंशका. स्वच्छक(छात्रावास)	1	0	1	

परिचय—

शासकीय महाविद्यालय सूरजपुर की स्थापना नागरिकों के लम्बे संघर्ष के परिणामस्वरूप सत्र 1984–85 में तात्कालिक उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह पोर्ट के द्वारा खोलने की घोषणा की गई थी। प्रारंभ में सीमित संसाधनों के साथ नगरपालिका से लगे नेहरू बालसदन के छोटे से भवन व नगरपालिका के सामुदायिक हॉल में महाविद्यालय की शुरुआत की गई। जनसहयोग से फर्नीचर, पंखा एवं अन्य आवश्यक संसाधन जुटा कर कला एवं वाणिज्य संकाय के प्रथम वर्ष की कक्षाएँ प्रारंभ की गई, और बाद में नगरपालिका के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर दो अतिरिक्त कमरे महाविद्यालय को प्रदान किये गए, जिसमें बी.ए. एवं बी.कॉम. अंतिम की कक्षाएँ प्रारंभ हो सकी।

सात वर्षों के बाद 17 सितम्बर 1991 में तात्कालिक मुख्यमंत्री श्रीसुंदर लाल पटवा ने 26.5 एकड़ भू-खण्ड के साथ महाविद्यालय को स्वयं के भवन की सौगात दी। भवन मिल जाने से छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण मिला, समय के साथ-साथ महाविद्यालय में नियमित प्रवेशित छात्र/छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ती गई। उल्लेखनीय है कि अविभाजित मध्यप्रदेश में सबसे बड़ी तहसील होने का गौरव प्राप्त करने वाले आज का जिला मुख्यालय सूरजपुर के महाविद्यालय को शासन के द्वारा जिले का अग्रणी महाविद्यालय का दर्जा दिया गया है तथा नैक मूल्यांकन 2016–17 में ग्रेड-'बी' प्रदान किया गया है।

शासकीय महाविद्यालय सूरजपुर प्रारंभ में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर से सम्बद्ध रहा, वर्तमान में यह महाविद्यालय सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर से सम्बद्ध है। महाविद्यालय का भवन सूरजपुर के गुरु घासीदास वार्डक्रमांक 09 में स्थित है। महाविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वर्तमान में संशोधित नामकरण पूर्व विधायक पं. रेवती रमण मिश्र के नाम से रखा गया है।

महाविद्यालय की अन्य व्यवस्थाएँ जिनका पालन सभी छात्र/छात्राओं को करना अनिवार्य है :—

- 01 ड्रेसकोड—महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू है, सभी छात्र/छात्राएँ कक्षाओं में एवं महाविद्यालय के अन्य कार्यक्रमों में निर्धारित गणवेश में उपस्थित होंगे।
- 02 छात्र अभिभावक योजना — छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में छात्र अभिभावक योजना लागू है, जिसके प्रावधान के अनुसार प्रत्येक छात्र/छात्र के लिए महाविद्यालय का एक प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक अभिभावक के रूप में कार्य करेगा, इस छात्र अभिभावक के समक्ष संबंधित छात्र/छात्र पठन-पाठन से संबंधित व अन्य समस्याओं को व्यक्त कर सकेगा/सकेगी। आवश्यकता होने पर संबंधित छात्र/छात्र के पिता/माता/अभिभावक को महाविद्यालय में भी चर्चा के लिए बुलाया जा सकेगा।
- 03 रैंगिंग को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। इसमें लिप्त पाए जाने वाले छात्र/छात्र का प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही हेतु भी प्रकरण प्रेषित किया जावेगा।
- 04 छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी छात्र/छात्राओं को यूनिट टेस्ट तिमाही/छ:माही परीक्षा में शामिल होना व उत्तीर्ण होना आवश्यक है, साथ ही नियमित परिक्षार्थी के रूप में विश्वविद्यालय की परीक्षा में शामिल होने के लिए कक्षाओं में न्यूनतम 75प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है।
- 05 समय—समय पर जारी होने वाली सभी आदेशों/निर्देशों का पालन सभी छात्र/छात्राओं को करना आवश्यक होगा।
- 06 स्नातक विषयों में महाविद्यालय में तीन संकायों के अन्तर्गत अध्ययन की सुविधा है। 01 कलासंकाय—हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र 02 विज्ञान संकाय—वनस्पतिशास्त्र, जन्तुविज्ञान, रसायनशास्त्र, भौतिक, गणित 03 वाणिज्य संकाय—समर्त अनिवार्य विषय है। बी.सी.ए, डी.सी.ए, पी.जी.डी.सी.ए. की कक्षाएँ भी संचालित हैं।
- 07 स्नातकोत्तर विषयों में (सेमेस्टरप्रणाली) महाविद्यालय में हिन्दी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं वाणिज्य विषय में अध्ययन की सुविधा है।

- 08 महाविद्यालय में क्रीड़ा हेतु मैदान उपलब्ध है, जहाँ प्रभारी प्राध्यापक के सहयोग से सम्पूर्ण क्रिया-कलाओं का संचालन किया जाता है।
- 09 महाविद्यालय में एन.एस.एस. की एक इकाई है, जिसमें 100 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। इस इकाई का प्रत्येक विद्यार्थी सदस्य है। सभी सदस्य योजना के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रमों में रुचि लेकर पारस्परिक सहयोग से योजनाओं को निष्ठापूर्वक पूर्ण कर महाविद्यालय की गौरवशाली परम्परा का निर्वाह करते हैं।
- 10 महाविद्यालय में यूथ रेडक्रास की इकाई संचालित है। जिसके सदस्य महाविद्यालय के सभी प्रवेशित छात्र/छात्राएँ हैं। सक्रिय सदस्यों की एक इकाई गठित की जाती है जो कि सभी प्रकार के रचनात्मक एवं सामाजिक कार्यों में सक्रिय भाग लेने के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण कार्यक्रम रक्तदान में छात्र/छात्राएँ भाग लेते हुए स्वेच्छित रक्तदान करते हैं।
- 11 यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम 1956 की धारा 2 (F) 12 (B) में पंजीकृत है।

महाविद्यालय में स्ववित्तीय योजना जनभागीदारी के अन्तर्गत खोले गये विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी—

- 01 बी.सी.ए.— निर्धारित सीट – 60, प्रवेश की पात्रता – बी.सी.ए. पाठ्यक्रम में वे समस्त छात्र/छात्राएँ प्रवेश की पात्रता रखते हैं। जिन्होंने 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। बी.सी.ए. पाठ्यक्रम तीन वर्षों का होगा। गणित विषय से 12 वीं उत्तीर्ण किये हुए छात्र/छात्राओं को ब्रिज कोर्स की परीक्षा नहीं देनी होगी। जब की अन्य दूसरे विषयों के छात्र/छात्राओं को प्रथम वर्ष की परीक्षा के साथ ही ब्रिज कोर्स की परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
प्रवेश शुल्क—बी.सी.ए. पाठ्यक्रम के छात्रों को प्रवेश शुल्क रु. 6000.00 छ: हजार रु. प्रतिवर्ष होगा।
- 02 डी.सी.ए.—निर्धारित सीट 50 – डी.सी.ए. एक वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होगा जिसमें वे सभी छात्र/छात्रायें प्रवेश की पात्रता रखते हैं। जिन्होंने 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।
प्रवेश शुल्क – उक्त कोर्स के लिए प्रवेश शुल्क 5000.00 पांच हजार रु. निर्धारित किया गया है। जो कि प्रवेश के समय ही भुगतान करना होगा।
- 03 पी.जी.डी.सी.ए.—निर्धारित सीट 50—पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों का होना अनिवार्य है। यह पाठ्यक्रम एक वर्ष का होगा।
प्रवेश शुल्क—प्रवेश शुल्क की राशि 10000.00 दस हजार रु. होगी। कम से कम 10 प्रवेश होने पर ही पाठ्यक्रम संचालित किया जावेगा।
- 04 कम्प्यूटर एप्लीकेशन— निर्धारित सीट 50 – यह पाठ्यक्रम तीन वर्षों के लिए होगा। जो छात्र कम्प्यूटर एप्लीकेशन लेंगे, उन छात्रों का एक विषय का ग्रुप कम हो जाएगा। वाणिज्य के प्रथमवर्ष के छात्रों को जो कम्प्यूटर एप्लीकेशन विषय लेंगे उन्हें व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं व्यावसायिक पर्यावरण की परीक्षा नहीं देनी होगी।
प्रवेश शुल्क – जो छात्र उक्त पाठ्यक्रम का चयन करेंगे, उन्हे 5000.00 पांच हजार रु. वार्षिक शुल्क के रूप में प्रवेश के समय भुगतान करना होगा।
- | | | | |
|----|-------------------------------|---|-----|
| 05 | बी.कॉम. प्रथम निर्धारित सीट | — | 140 |
| 06 | बी.एस.सी. प्रथम निर्धारित सीट | — | 210 |
| 07 | बी.ए.प्रथम निर्धारित सीट | — | 220 |
| 08 | एम. ए./एम. कॉम. प्रत्येक विषय | — | 40 |

- टीप :- 1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय एवं छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निमयों का पालन किया जावेगा ।
2. प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्राएँ निर्धारित समयावधि तक ही आवेदन कर सकेंगे ।
3. प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर ही किया जाएगा ।
4. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक कक्षाएँ निर्धारित समय पर हुआ करेगी ।
5. प्रवेशित छात्र/छात्राओं की उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्यहोगी ।
6. महाविद्यालय अध्यापन के दौरान अनुशासन बनाये रखना आवश्यक एवं अनिवार्य ।
7. अनुशासनहीनता की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

1. प्रयुक्ति :-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत् अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे ।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा । प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है ।

2. प्रवेश की तिथि :-

- 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना
- महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे । विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र, जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी । बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान किये जाने की स्थिति में पूर्व संख्या के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें ।
- 2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-
- स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रतिवर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे । परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी । कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा ।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक (क) ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था । उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान (ब) में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा । आवेदक (ख) ने स्थान (अ) के

जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को वहां प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :—

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :—

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध [उपकरण/उपयोग](#) योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बारकौसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेवक्षण(अधिकतम 4 सेवक्षण) में प्रवेशगुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेशसूची :—

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिकारी देय है, वहां अधिकार देकर कुल प्राप्तांकों को गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाणपत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाणपत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाणपत्र की मूलप्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाणपत्र पर प्रवेश दिया गया है रद्द की मोहर लगा कर उसे रद्द करना चाहिए।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूलप्रति का निरस्त की सील लगा कर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रु. 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जूलाई के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण पत्र की द्वितीय प्रति(डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिस में मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचनपत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय में प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रेगिस्ट्रेशन/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट

को सील बंद लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है। का पालन किया जाए।

5. प्रवेश की पात्रता :—

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :—

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार में शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छ.ग. में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षाएँ उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :—

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बी.एच.एस.सी. प्रथमवर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :—

- (क) बी. कॉम./बी.एच.एस.सी./बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम. काम./एम.एच.एस.-सी./एम.ए. पूर्व एवं निवेदित विषय लेकर, बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी./एम.ए. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. नियम :—

- स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
- स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियम प्रवेश :—

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम/द्वितीय एवं एल.एल.एम. पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय, तृतीय एवं एल.एल.एम. द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :—

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40 प्रतिशत तथा जहाँ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता, वहाँ 45 प्रतिशत होगी। एल.एल.एम. पूर्वार्द्ध में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त आवेदकों की पात्रता होगी।

5.6 AICTE/ BAR COUNCIL OF INDIA/ MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित वाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा :—

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) इंडियन कौंसिल फॉर सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी) के सदस्य हैं। उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है। की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52 अप्रैल 2014 के अनुसार—
जैसा की आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षणिक अर्हता संरचना में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को नियमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारंभ

किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाणपत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास 10+2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे। वे अलाभकारी स्थिति में होंगे तथा मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

- 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.काम./बी.एस.-सी/बी.एच.एस.-सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागु होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने की पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से प्रमाणपत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे राज्य से बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथपत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/ विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।
- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अंतिम के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

- 8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

- 8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रवेश छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएँ :-

- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जाएगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण—पत्र तथा शपथ—पत्र जिससे प्रमाणित हो की पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर की नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है और या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में पूर्व रूप में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं।
- 9.3 महाविद्यालय में तोड़—फोड़ करने और महाविद्यालय के सम्पति को नष्ट करने वाले/रैंगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश देने के लिए अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जाँच करवाये एवं रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।
- 9.4 (क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के जुलाई की स्थिति में कि जाएगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगी।
- (ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारतसरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी भी सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
- (ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।
- (घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ङ) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडे वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी के उसकी दैनिक कार्य की अवधि मे लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि से उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :—

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से लिया जायेगा।

(क)स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं मे प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर, तथा

(ख)विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग—अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :—

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं मे प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर/अगली कक्षाओं मे प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला के स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीप स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान /तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों में समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूहों के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परंतु उपरोक्त प्रावधान स्वाशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12 आरक्षण :—

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :—

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा अर्थात् —

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगी।

परंतु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती है तो अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परंतु यह और कि पूर्वगामी परंतु क में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथि पर रिक्त रह जाती है तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेत्रिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्रमांक 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रा संग्राम सेनानियों के पुत्र व पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों के प्राप्ताकों को 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गों के उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे — स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की सह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

- 15.6 आरक्षित का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- 12.8 समय—समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कंडिका 12.1 में दर्शायी गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अधीन रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यूपी. 400 / 2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि— **We direct the Centre and the state Government to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institution and for public appointments.**

13. अधिभार :—

- अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए की प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण—पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने / जमा किये जाने वाले प्रमाण—पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार की देय होगा।
- 13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/सेवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी.	'ए' सर्टिफिकेट	02
प्रतिशत		
(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी.	'बी' सर्टिफिकेट	03
प्रतिशत		
या द्वितीय सोपानउत्तीर्ण स्काउट्स		
(ग) सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स		04
प्रतिशत		
(घ) राज्य स्तरीय संचालनयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04	प्रतिशत
(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05	प्रतिशत
(छ) राज्यपाल स्काउट्स		05 प्रतिशत
(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स		10 प्रतिशत
(झ) छत्तीसगढ़ का सबसे सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट		10 प्रतिशत
(य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्गअवार्डप्राप्त एन.सी.सी. केडेट		15 प्रतिशत
(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिए चयनित करने वाले विद्यार्थियों को।	15	प्रतिशत
13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर	10	प्रतिशत

13.3	खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / किवज / स्पांकन प्रतियोगिताएं :- (1)लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतरसभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :- (क)प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत (ख)व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत
13.4(1)	उपर्युक्त कंडिका में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अंतरसभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रिय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में— (क)प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत (ख)व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत (ग)संभाग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत
(3)	(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :- (क)व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत (ख)प्रथम, द्वितीय, अथवा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत
13.4	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत
13.5	छत्तीसगढ़ शासन / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :- (क)छत्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत (ख)प्रथम, द्वितीय, अथवा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
13.6	जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत
13.7	विशेष प्रोत्साहन:- छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड / एशियाड / स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है। (1)इस प्रकार के प्रमाण-पत्र को संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं (2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
13.8	प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक का प्रमाण-पत्रों अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे । स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु सत्र में प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे ।

14. संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा में संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणाक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये

प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उसकी अधिक हो।

15. शोध छात्र :—

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी.के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाईजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुक्ल जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाईजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाईजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्थान में अपना शोध कार्य चालू रख सकता है जहाँ से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

विशेष :—

- 16.1 जाली प्रमाण पत्र गलत जानकारी जान-बूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे निरस्त करने की पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होंगे।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्ण अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों से लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा संस्था निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य काई शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न करने का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

नोट—उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यदि परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना महाविद्यालय के सूचना पठल पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय की विभिन्न समितियों के प्रभार

डॉ. एस. एस. अग्रवाल, प्राचार्य एवं संरक्षक

1. डॉ. एच. एन. दुबे सहा. प्रा. (राजनीति शास्त्र)
 - आंतरिक गुणवत्ता आषासन प्रकोष्ठ, रैगिंग निवारण समिति, यू.जी.सी., रुसा।
2. डॉ. जी. ए. घनस्थाम सहा. प्रा. (अंग्रेजी)
 - नैक संचालन समिति, कैरियर गाइडेन्स, काउंसलिंग एवं मोटिवेषनल सेल।
3. श्री ए. के. पाण्डेय सहा. प्रा. (इतिहास)
 - षिकायत निवारण प्रकोष्ठ, प्लेसमेंट सेल।
4. श्रीमती प्रतिभा कश्यप सहा. प्रा. (समाजशास्त्र)
 - एल्युमनी प्रकोष्ठ, महिला उत्पीड़न एवं जेन्डर सेन्सटाईजेषन।
5. डॉ. कल्याणी जैन सहा. प्रा. (हिंदी)
 - आंतरिक परीक्षा प्रकोष्ठ, पालक-षिक्षक प्रकोष्ठ।
6. श्री यशवंत सिंह शाक्या
 - छात्रावास अधीक्षक
7. श्री आर.पी. सिंह. सहा. ग्रेड-01
 - स्था. छात्रवृत्ति, अशासकीय लेखा, प्रवेष, आवक-जावक।
8. श्री चन्द्रभूषण मिश्रा प्रयोगशाला शिक्षक —
 - विज्ञान संकाय
9. श्री अनुराग तिवारी, बुक लिफ्टर
 - ग्रंथालय प्रभारी
10. श्री गिरधारी राम, भृत्य
 - श्री रामाधार पात्रे, स्वीपर

शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर

जिला—सूरजपुर(छ.ग.)

प्राचार्य एवं संरक्षक
डॉ. एस. एस. अग्रवाल
मो. नं. — 9425585792

सत्र 2017–18

- 01 शिक्षण सत्र दिनांक **16.06.2017** से प्रारंभ होगा।
- 02 परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन के भीतर सम्बंधित प्रवेश समिति से प्रवेश ले लेवें। विलम्ब से प्राप्त प्रवेश आवेदन पर विचार नहीं होगा।
- 03 प्रवेश लेने के एक सप्ताह पश्चात छात्र/छात्रा अपना प्रवेश पत्र सम्बंधित प्रवेश समिति से प्राप्त कर लें, तथा अपना परिचय—पत्र एवं लायब्रेरी कार्ड बनवा लें।
- 04 महाविद्यालय में अनुशासन एवं पठन—पाठ में छात्र/छात्राओं का सहयोग अनिवार्य है, महाविद्यालय के वातावरण में अशांति फैलाना दण्डनीय है।
- 05 महाविद्यालय परिसर में मोबाइल पूर्णत प्रतिबंधित है।
- 06 कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
- 07 अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं अपना छात्रवृत्ति आवेदन पत्र समय पर जमा करें।
- 08 अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, आंदोलन/हड्डताल/हिंसक कार्यवाही एवं अन्य किसी प्रकार के दुराचरण के दोषी पाये गये छात्र का प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
- 09 प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर ही दिया जायेगा। जो आवेदक बाह्य दबाव के आधार पर प्रवेश पाने का प्रयास करेगा, उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- 10 अवधान राशि (कॉशनमनी) देय होने पर रसीद जमा के पश्चात मनीआर्डर द्वारा सम्बंधित के पते पर भेजी जावेगी।

शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर
महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम

संकाय	कक्षा	विषय
कलासंकाय	स्नातक	हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीतिविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र
	स्नातकोत्तर	हिन्दी, राजनीतिविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र (सेमेस्टरप्रणाली)
वाणिज्य संकाय	स्नातक	सभी अनिवार्य विषय
	स्नातकोत्तर	एम. काम. (सेमेस्टरप्रणाली)
विज्ञानसंकाय	स्नातक	वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र, भौतिक, गणित
	स्नातकोत्तर	एम.एस.सी. रसायन शास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, (सेमेस्टर प्रणाली)
कम्प्यूटर	स्नातक	बी.सी.ए.
	डिप्लोमा	डी.सी.ए., पी.जी.डी.सी.ए.

महाविद्यालय की सेट-अप की जानकारी

पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	रिक्त पद के विरुद्ध अध्यापन का कार्यअतिथिव्याख्याताओं से करायाजाताहै।
प्राचार्य	1	1	0	

प्राध्यापक

हिन्दी	1	—	1	
राजनीति	1	—	1	
समाजशास्त्र	1	—	1	
अर्थशास्त्र	1	—	1	
वाणिज्य	1	—	1	
रसायनशास्त्र	1	—	1	
वनस्पतिशास्त्र	1	—	1	

सहायकप्राध्यापक

हिन्दी	1	1	0	
अंग्रेजी	1	—	1	
राजनीति	2	1	1	
समाजशास्त्र	1	1	0	
इतिहास	1	1	0	
अर्थशास्त्र	1	—	1	
वाणिज्य	1	1	0	
रसायनशास्त्र	1	1	0	
वनस्पतिशास्त्र	1	—	1	
जन्मविज्ञान	1	—	1	
भौतिक	1	—	1	
गणित	1	—	1	
कम्प्यूटर एप्लीकेशन	1	—	1	
ग्रन्थपाल	1	—	1	
क्रीड़ाधिकारी	1	—	1	

तृतीय श्रेणी

छात्रावास अधीक्षक	1	1	0	
सहायकग्रेड-1	1	1	0	
सहायकग्रेड-2	1	1	0	
सहायकग्रेड-3	2	—	2	
प्रयोगशालाशिक्षक	3	1	2	

चतुर्थश्रेणी

प्रयोगशालापरि.	2	0	2	
बुकलिफ्टर	1	1	0	
भृत्य	2	1	1	
चौकीदार	1	0	1	
स्वीपर	1	1	0	
भृत्य छात्रावास	2	0	2	
स्वच्छकछात्रावास	1	0	1	

परिचय—

शासकीय महाविद्यालय सूरजपुर की स्थापना नागरिकों के लम्बे संघर्ष के परिणामस्वरूप सत्र 1984–85 में तात्कालिक उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह पोर्ट के द्वारा खोलने की घोषणा की गई थी। प्रारंभ में सीमित संसाधनों के साथ नगरपालिका से लगे नेहरू बालसदन के छोटे से भवन व नगरपालिका के सामुदायिक हॉल में महाविद्यालय की शुरुआत की गई। जनसहयोग से फर्नीचर, पंखा एवं अन्य आवश्यक संसाधन जुटा कर कला एवं वाणिज्य संकाय के प्रथम वर्ष की कक्षाएँ प्रारंभ की गई, और बाद में नगरपालिका के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर दो अतिरिक्त कमरे महाविद्यालय को प्रदान किये गए, जिसमें बी.ए. एवं बी.कॉम. अंतिम की कक्षाएँ प्रारंभ हो सकी।

सात वर्षों के बाद 17 सितम्बर 1991 में तात्कालिक मुख्यमंत्री श्रीसुंदर लाल पटवा ने 26.5 एकड़ भू-खण्ड के साथ महाविद्यालय को स्वयं के भवन की सौगात दी। भवन मिल जाने से छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण मिला, समय के साथ-साथ महाविद्यालय में नियमित प्रवेशित छात्र/छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ती गई। उल्लेखनीय है कि अधिकारियों द्वारा इस भवन का गौरव प्राप्त करने वाले आज का जिला मुख्यालय सूरजपुर के महाविद्यालय को शासन के द्वारा जिले का अग्रणी महाविद्यालय का दर्जा दिया गया है तथा नैक मूल्यांकन 2016–17 में ग्रेड-'बी' प्रदान किया गया है।

शासकीय महाविद्यालय सूरजपुर प्रारंभ में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर से सम्बद्ध रहा, वर्तमान में यह महाविद्यालय सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर से सम्बद्ध है। महाविद्यालय का भवन सूरजपुर के गुरु घासीदास वार्डक्रमांक 09 में स्थित है। महाविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वर्तमान में संशोधित नामकरण पूर्व विधायक पं. रेवती रमण मिश्र के नाम से रखा गया है।

महाविद्यालय की अन्य व्यवस्थाएँ जिनका पालन सभी छात्र/छात्राओं को करना अनिवार्य है :—

- 01 ड्रेसकोड—महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू है, सभी छात्र/छात्राएँ कक्षाओं में एवं महाविद्यालय के अन्य कार्यक्रमों में निर्धारित गणवेश में उपस्थित होंगे।
- 02 छात्र अभिभावक योजना — छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में छात्र अभिभावक योजना लागू है, जिसके प्रावधान के अनुसार प्रत्येक छात्र/छात्र के लिए महाविद्यालय का एक प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक अभिभावक के रूप में कार्य करेगा, इस छात्र अभिभावक के समक्ष संबंधित छात्र/छात्र पठन-पाठन से संबंधित व अन्य समस्याओं को व्यक्त कर सकेगा/सकेगी। आवश्यकता होने पर संबंधित छात्र/छात्र के पिता/माता/अभिभावक को महाविद्यालय में भी चर्चा के लिए बुलाया जा सकेगा।
- 03 रैंगिंग को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। इसमें लिप्त पाए जाने वाले छात्र/छात्र का प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही हेतु भी प्रकरण प्रेषित किया जावेगा।
- 04 छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी छात्र/छात्राओं को यूनिट टेस्ट तिमाही/छ:माही परीक्षा में शामिल होना व उत्तीर्ण होना आवश्यक है, साथ ही नियमित परिक्षार्थी के रूप में विश्वविद्यालय की परीक्षा में शामिल होने के लिए कक्षाओं में न्यूनतम 75प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है।
- 05 समय—समय पर जारी होने वाली सभी आदेशों/निर्देशों का पालन सभी छात्र/छात्राओं को करना आवश्यक होगा।
- 06 स्नातक विषयों में महाविद्यालय में तीन संकायों के अन्तर्गत अध्ययन की सुविधा है। 01 कलासंकाय—हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र 02 विज्ञान संकाय—वनस्पतिशास्त्र, जन्तुविज्ञान, रसायनशास्त्र, भौतिक, गणित 03 वाणिज्य संकाय—समस्त अनिवार्य विषय है। बी.सी.ए, डी.सी.ए, पी.जी.डी.सी.ए. की कक्षाएँ भी संचालित हैं।

- 07 स्नातकोत्तर विषयों में (सेमेस्टरप्रणाली) महाविद्यालय में हिन्दी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं वाणिज्य विषय में अध्ययन की सुविधा है।
- 08 महाविद्यालय में क्रीड़ा हेतु मैदान उपलब्ध है, जहाँ प्रभारी प्राध्यापक के सहयोग से सम्पूर्ण क्रिया—कलापों का संचालन किया जाता है।
- 09 महाविद्यालय में एन.एस.एस. की एक इकाई है, जिसमें 100 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। इस इकाई का प्रत्येक विद्यार्थी सदस्य है। सभी सदस्य योजना के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रमों में रुचि लेकर पारस्परिक सहयोग से योजनाओं को निष्ठापूर्वक पूर्ण कर महाविद्यालय की गौरवशाली परम्परा का निर्वाह करते हैं।
- 10 महाविद्यालय में यूथ रेडक्रास की इकाई संचालित है। जिसके सदस्य महाविद्यालय के सभी प्रवेशित छात्र/छात्राएँ हैं। सक्रिय सदस्यों की एक इकाई गठित की जाती है जो कि सभी प्रकार के रचनात्मक एवं सामाजिक कार्यों में सक्रिय भाग लेने के साथ—साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण कार्यक्रम रक्तदान में छात्र/छात्राएँ भाग लेते हुए स्वेच्छित रक्तदान करते हैं।
- 11 यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम 1956 की धारा 2 (F) 12 (B) में पंजीकृत है।

महाविद्यालय में स्ववित्तीय योजना जनभागीदारी के अन्तर्गत खोले गये विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी—

- 01 बी.सी.ए.— निर्धारित सीट – 60, प्रवेश की पात्रता – बी.सी.ए. पाठ्यक्रम में वे समस्त छात्र/छात्राएँ प्रवेश की पात्रता रखते हैं। जिन्होंने 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। बी.सी.ए. पाठ्यक्रम तीन वर्षों का होगा। गणित विषय से 12 वीं उत्तीर्ण किये हुए छात्र/छात्राओं को ब्रिज कोर्स की परीक्षा नहीं देनी होगी। जब की अन्य दूसरे विषयों के छात्र/छात्राओं को प्रथम वर्ष की परीक्षा के साथ ही ब्रिज कोर्स की परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
प्रवेश शुल्क—बी.सी.ए. पाठ्यक्रम के छात्रों को प्रवेश शुल्क रु. 6000.00 छ: हजार रु. प्रतिवर्ष होगा।
- 02 डी.सी.ए.—निर्धारित सीट 50 – डी.सी.ए. एक वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होगा जिसमें वे सभी छात्र/छात्रायें प्रवेश की पात्रता रखते हैं। जिन्होंने 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।
प्रवेश शुल्क – उक्त कोर्स के लिए प्रवेश शुल्क 5000.00 पांच हजार रु. निर्धारित किया गया है। जो कि प्रवेश के समय ही भुगतान करना होगा।
- 03 पी.जी.डी.सी.ए.—निर्धारितसीट 50—पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों का होना अनिवार्य है। यह पाठ्यक्रम एक वर्ष का होगा।
प्रवेश शुल्क—प्रवेश शुल्क की राशि 10000.00 दस हजार रु. होगी। कम से कम 10 प्रवेश होने पर ही पाठ्यक्रम संचालित किया जावेगा।
- 04 कम्प्यूटर एप्लीकेशन— निर्धारित सीट 50 – यह पाठ्यक्रम तीन वर्षों के लिए होगा। जो छात्र कम्प्यूटर एप्लीकेशन लेंगे, उन छात्रों का एक विषय का ग्रुप कम हो जाएगा। वाणिज्य के प्रथमवर्ष के छात्रों को जो कम्प्यूटर एप्लीकेशन विषय लेंगे उन्हें व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं व्यावसायिक पर्यावरण की परीक्षा नहीं देनी होगी।
प्रवेश शुल्क – जो छात्र उक्त पाठ्यक्रम का चयन करेंगे, उन्हे 5000.00 पांच हजार रु. वार्षिक शुल्क के रूप में प्रवेश के समय भुगतान करना होगा।
- | | | | |
|----|-------------------------------|---|-----|
| 05 | बी.कॉम. प्रथम निर्धारित सीट | – | 140 |
| 06 | बी.एस.सी. प्रथम निर्धारित सीट | – | 200 |
| 07 | बी.ए.प्रथम निर्धारित सीट | – | 200 |

08	एम. ए./एम. कॉम. प्रत्येक विषय	—	40
09	एम.एस.सी. रसायन शास्त्र	—	25
10	एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र	—	20

टीप :- 1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय एवं छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निम्नों का पालन किया जावेगा।

2. प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्राएँ निर्धारित समयावधि तक ही आवेदन कर सकेंगे।
3. प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर ही किया जाएगा।
4. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक कक्षाएँ निर्धारित समय पर हुआ करेगी।
5. प्रवेशित छात्र/छात्राओं की उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्यहोगी।
6. महाविद्यालय अध्यापन के दौरान अनुशासन बनाये रखना आवश्यक एवं अनिवार्य।
7. अनुशासनीनता की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

1. प्रयुक्ति :-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

- 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना
महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र, जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान किये जाने की स्थिति में पूर्व संख्या के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।
- 2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-
स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रतिवर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक (क) ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय मे नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान (ब) में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक (ख) ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को वहां प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3

पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा मे पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3.

प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1

महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध [उपकरण/उपयोग](#) योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।

3.2

विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं मे बारकौसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेवकशन(अधिकतम 4 सेवकशन) में प्रवेशगुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4.

प्रवेशसूची :-

4.1

प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिकारी देय है, वहां अधिकार देकर कुल प्राप्तांकों को गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2

प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाणपत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाणपत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाणपत्र की मूलप्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाणपत्र पर प्रवेश दिया गया है रद्द की मोहर लगा कर उसे रद्द करना चाहिए।

4.3

निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूलप्रति का निरस्त की सील लगा कर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4

घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रु. 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जूलाई के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5

स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति(डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ. आई. आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं

पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिस में मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचनपत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय में प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रेंगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है। का पालन किया जाए।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार में शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छ.ग. में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षाएँ उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बी.एच.एस.सी. प्रथमवर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

(क) बी. कॉम./बी.एच.एस.सी./बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम. काम./एम.एच.एस.-सी./एम.ए. पूर्व एवं निवेदित विषय लेकर, बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी./एम.ए. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. नियम :-

- स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
- स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियम प्रवेश :—

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम/द्वितीय एवं एल.एल.एम. पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय, तृतीय एवं एल.एल.एम. द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :—

- (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40 प्रतिशत तथा जहाँ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता, वहाँ 45 प्रतिशत होगी। एल.एल.एम. पूर्वार्द्ध में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त आवेदकों की पात्रता होगी।

5.6 AICTE/ BAR COUNCIL OF INDIA/ MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित द पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होगें।

6. समकक्ष परीक्षा :—

- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) इंडियन कॉसिल फॉर सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी) के सदस्य हैं। उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है। की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- 6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

जैसा की आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को नियमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाणपत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेगें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास 10+2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे। वे अलाभकारी स्थिति में होंगे तथा मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे, ताकि उन छात्रों को क्षेत्रिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :—

- 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.काम./बी.एस.—सी/बी.एच.एस.—सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागु होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने की पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से प्रमाणपत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे राज्य से बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथपत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/ विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।
- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अंतिम के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

- 8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी—केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 उपरोक्त कांडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रवेश छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएँ :-

- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जाएगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण—पत्र तथा शपथ—पत्र जिससे प्रमाणित हो की पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर की नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है और या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में पूर्व रूप में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं।
- 9.3 महाविद्यालय में तोड़—फोड़ करने और महाविद्यालय के सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैंगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश देने के लिए अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जाँच करवाये एवं रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।
- 9.4 (क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के जुलाई की स्थिति में कि जाएगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगी।
- (ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारतसरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी भी सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
- (ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

- (घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ङ) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडे वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।
- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी के उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि से उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :—

- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से लिया जायेगा।
(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर, तथा
(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग—अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :—

- 11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर/अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।
- 11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला के स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीप स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों में समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूहों के अध्ययन

की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

- 11.5 परंतु उपरोक्त प्रावधान स्वाशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12 आरक्षण :—

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :—

- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा अर्थात् –
- (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगी।

परंतु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती है तो अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परंतु यह और कि पूर्वगामी परंतु क में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथि पर रिक्त रह जाती है तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

- 12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर रूप से अवधारित किया जाएगा।
- (2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्रमांक 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।
- 12.3 स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के पुत्र व पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों के प्राप्ताकों को 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।
- 12.4 सभी वर्गों के उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा

विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे – स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की सह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

- 15.6 आरक्षित का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- 12.8 समय—समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कंडिका 12.1 में दर्शायी गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अधीन रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक ८३/२०१२ नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि— **We direct the Centre and the state Government to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institution and for public appointments.**

13. अधिभार :—

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए की प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण—पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/ जमा किये जाने वाले प्रमाण—पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार की देय होगा।

- 13.1 एन.सी.सी./एन.एस./स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/सेवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

(क) एन.एस.एस. / एन.सी.सी.	'ए' सर्टिफिकेट	02
प्रतिशत		
(ख) एन.एस.एस. / एन.सी.सी.	'बी' सर्टिफिकेट	03
प्रतिशत		
या द्वितीय सोपानउत्तीर्ण स्काउट्स		
(ग) सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स		04
प्रतिशत		
(घ) राज्य स्तरीय संचालनयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04	प्रतिशत
(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को		05 प्रतिशत
(छ) राज्यपाल स्काउट्स		05 प्रतिशत
(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स		10 प्रतिशत
(झ) छत्तीसगढ़ का सबसे सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट		10 प्रतिशत
(य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्गअवार्डप्राप्त एन.सी.सी. केडेट		15 प्रतिशत

	(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिए चयनित करने वाले विद्यार्थियों को।	15 प्रतिशत
13.2	आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत	
13.3	खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/किवज/स्पांकन प्रतियोगिताएँ :-	
	(1)लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतरसभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-	
	(क)प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत	
	(ख)व्यवित्तगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत	
13.4(1)	उपर्युक्त कंडिका में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतरसभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रिय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में-	
	(क)प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत	
	(ख)व्यवित्तगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत	
	(ग)संभाग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत	
(3)	भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-	
	(क)व्यवित्तगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत	
	(ख)प्रथम, द्वितीय, अथवा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत	
	(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत	
13.4	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत	
13.5	छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-	
	(क)छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत	
	(ख)प्रथम, द्वितीय, अथवा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत	
13.6	जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत	
13.7	विशेष प्रोत्साहन:-	
	छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है।	
	(1)इस प्रकार के प्रमाण-पत्र को संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रापणित किया गया हो, एवं	
	(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।	
13.8	प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक का प्रमाण-पत्रों अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु सत्र में प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।	

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :—

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा में संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणाक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उसकी अधिक हो।

15. शोध छात्र :—

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी.के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाईजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकते हैं। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाईजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाईजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्थान में अपना शोध कार्य चालू रख सकता है जहाँ से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

विशेष :—

- 16.1 जाली प्रमाण पत्र गलत जानकारी जान-बूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे निरस्त करने की पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होंगे।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्ण अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों से लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा संस्था निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य काई शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न करने का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

नोट—उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यदि परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना महाविद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय की विभिन्न समितियों के प्रभार

डॉ. एस. एस. अग्रवाल, प्राचार्य एवं संरक्षक

1. डॉ. एच. एन. दुबे सहा. प्रा. (राजनीति शास्त्र)
 - आंतरिक गुणवत्ता आषासन प्रकोष्ठ, रैगिंग निवारण समिति, यू.जी.सी., रुसा।
2. श्री ए. के. पाण्डेय सहा. प्रा. (इतिहास)
 - नैक संचालन समिति, कैरियर गाइडेन्स, काउंसलिंग एवं मोटिवेशनल सेल, षिकायत निवारण प्रकोष्ठ, प्लेसमेंट सेल।
3. श्रीमती प्रतिभा कश्यप सहा. प्रा. (समाजशास्त्र)
 - एल्युमनी प्रकोष्ठ, महिला उत्पीड़न एवं जेन्डर सेन्सटाईजेषन।
4. डॉ. कल्याणी जैन सहा. प्रा. (हिंदी)
 - आंतरिक परीक्षा प्रकोष्ठ, पालक-षिक्षक प्रकोष्ठ, रिसर्च/सेमिनार/गोष्ठी आयोजन सेल।
5. श्री यशवंत सिंह शाक्या
 - छात्रावास अधीक्षक
6. श्री आर.पी. सिंह. सहा. ग्रेड-01
 - रथा. छात्रवृत्ति, अशासकीय लेखा, प्रवेष, आवक-जावक।
7. श्री चन्द्रभूषण मिश्रा प्रयोगशाला शिक्षक –
 - विज्ञान संकाय
8. श्री अनुराग तिवारी, बुक लिफ्टर
 - ग्रंथालय प्रभारी
9. श्री गिरधारी राम, भृत्य
 -
10. श्री रामाधार पात्रे, स्वीपर
 -

शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर

जिला—सूरजपुर(छ.ग.)

प्राचार्य एवं संरक्षक
डॉ. एस. एस. अग्रवाल
मो. नं. — 9425585792

सत्र 2018–19

- 01 शिक्षण सत्र दिनांक **16.06.2018** से प्रारंभ होगा।
- 02 परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन के भीतर सम्बंधित प्रवेश समिति से प्रवेश ले लेवें। विलम्ब से प्राप्त प्रवेश आवेदन पर विचार नहीं होगा।
- 03 प्रवेश लेने के एक सप्ताह पश्चात छात्र/छात्रा अपना प्रवेश पत्र सम्बंधित प्रवेश समिति से प्राप्त कर लें, तथा अपना परिचय—पत्र एवं लायब्रेरी कार्ड बनवा लें।
- 04 महाविद्यालय में अनुशासन एवं पठन—पाठ में छात्र/छात्राओं का सहयोग अनिवार्य है, महाविद्यालय के वातावरण में अशांति फैलाना दण्डनीय है।
- 05 महाविद्यालय परिसर में मोबाइल पूर्णत प्रतिबंधित है।
- 06 कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
- 07 अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं अपना छात्रवृत्ति आवेदन पत्र समय पर जमा करें।
- 08 अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, आंदोलन/हड्डताल/हिंसक कार्यवाही एवं अन्य किसी प्रकार के दुराचरण के दोषी पाये गये छात्र का प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
- 09 प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर ही दिया जायेगा। जो आवेदक बाह्य दबाव के आधार पर प्रवेश पाने का प्रयास करेगा, उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- 10 अवधान राशि (कॉशनमनी) देय होने पर रसीद जमा के पश्चात मनीआर्डर द्वारा सम्बंधित के पते पर भेजी जावेगी।

शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर
महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम

संकाय	कक्षा	विषय
कलासंकाय	स्नातक	हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीतिविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र
	स्नातकोत्तर	हिन्दी, राजनीतिविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र (सेमेस्टरप्रणाली)
वाणिज्य संकाय	स्नातक	सभी अनिवार्य विषय
	स्नातकोत्तर	एम. काम. (सेमेस्टरप्रणाली)
विज्ञानसंकाय	स्नातक	वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र, भौतिक, गणित
	स्नातकोत्तर	एम.एस. सी. रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, (सेमेस्टरप्रणाली)
कम्प्यूटर	स्नातक	बी.सी.ए.
	डिप्लोमा	डी.सी.ए., पी.जी.डी.सी.ए.

महाविद्यालय की सेट-अप की जानकारी

पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	रिक्त पद के विरुद्ध अध्यापन का कार्यातिथिव्याख्याताओं से करायाजाताहै।
प्राचार्य	1	1	0	

प्राध्यापक

हिन्दी	1	—	1	
राजनीति	1	—	1	
समाजशास्त्र	1	—	1	
अर्थशास्त्र	1	—	1	
वाणिज्य	1	—	1	
रसायनशास्त्र	1	—	1	
वनस्पतिशास्त्र	1	—	1	

सहायकप्राध्यापक

हिन्दी	1	1	0	
अंग्रेजी	1	—	1	
राजनीति	2	1	1	
समाजशास्त्र	1	1	0	
इतिहास	1	1	0	
अर्थशास्त्र	1	—	1	
वाणिज्य	1	1	0	
रसायनशास्त्र	1	1	0	
वनस्पतिशास्त्र	1	1	0	
जन्मविज्ञान	1	—	1	
भौतिक	1	—	1	
गणित	1	—	1	
ग्रथपाल	1	—	1	
क्रीड़ाधिकारी	1	—	1	

तृतीय श्रेणी

छात्रावास अधीक्षक	1	1	0	
सहायकग्रेड-1	1	1	0	
सहायकग्रेड-2	1	1	0	
सहायकग्रेड-3	2	—	2	
प्रयोगशालाशिक्षक	3	1	2	

चतुर्थश्रेणी

प्रयोगशालापरि.	2	0	2	
बुकलिफ्टर	1	1	0	
भृत्य	2	1	1	
चौकीदार	1	0	1	
स्वीपर	1	1	0	
भृत्य छात्रावास	2	0	2	
स्वच्छकछात्रावास	1	0	1	
अंशका. स्वच्छक(छात्रावास)	1	0	1	

परिचय—

शासकीय महाविद्यालय सूरजपुर की स्थापना नागरिकों के लम्बे संघर्ष के परिणामस्वरूप सत्र 1984–85 में तात्कालिक उच्च शिक्षा मंत्री भवर सिंह पोर्ट के द्वारा खोलने की घोषणा की गई थी। प्रारंभ में सीमित संसाधनों के साथ नगरपालिका से लगे नेहरू बालसदन के छोटे से भवन व नगरपालिका के सामुदायिक हॉल में महाविद्यालय की शुरुआत की गई। जनसहयोग से फर्नीचर, पंखा एवं अन्य आवश्यक संसाधन जुटा कर कला एवं वाणिज्य संकाय के प्रथम वर्ष की कक्षाएँ प्रारंभ की गई, और बाद में नगरपालिका के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर दो अतिरिक्त कमरे महाविद्यालय को प्रदान किये गए, जिसमें बी.ए. एवं बी.कॉम. अंतिम की कक्षाएँ प्रारंभ हो सकी।

सात वर्षों के बाद 17 सितम्बर 1991 में तात्कालिक मुख्यमंत्री श्रीसुंदर लाल पटवा ने 26.5 एकड़ भू-खण्ड के साथ महाविद्यालय को स्वयं के भवन की सौगात दी। भवन मिल जाने से छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण मिला, समय के साथ-साथ महाविद्यालय में नियमित प्रवेशित छात्र/छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ती गई। उल्लेखनीय है कि अविभाजित मध्यप्रदेश में सबसे बड़ी तहसील होने का गौरव प्राप्त करने वाले आज का जिला मुख्यालय सूरजपुर के महाविद्यालय को शासन के द्वारा जिले का अग्रणी महाविद्यालय का दर्जा दिया गया है तथा नैक मूल्यांकन 2016–17 में ग्रेड–‘बी’ प्रदान किया गया है।

शासकीय महाविद्यालय सूरजपुर प्रारंभ में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर से सम्बद्ध रहा, वर्तमान में यह महाविद्यालय सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर से सम्बद्ध है। महाविद्यालय का भवन सूरजपुर के गुरु घासीदास वार्डक्रमांक 09 में स्थित है। महाविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वर्तमान में संशोधित नामकरण पूर्व विधायक पं. रेवती रमण मिश्र के नाम से रखा गया है।

महाविद्यालय की अन्य व्यवस्थाएँ जिनका पालन सभी छात्र/छात्राओं को करना अनिवार्य है :—

- 01 ड्रेसकोड—महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू है, सभी छात्र/छात्राएँ कक्षाओं में एवं महाविद्यालय के अन्य कार्यक्रमों में निर्धारित गणवेश में उपस्थित होंगे।
- 02 छात्र अभिभावक योजना — छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में छात्र अभिभावक योजना लागू है, जिसके प्रावधान के अनुसार प्रत्येक छात्र/छात्रा के लिए महाविद्यालय का एक प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक अभिभावक के रूप में कार्य करेगा, इस छात्र अभिभावक के समक्ष संबंधित छात्र/छात्रा पठन-पाठन से संबंधित व अन्य समस्याओं को व्यक्त कर सकेगा/सकेगी। आवश्यकता होने पर संबंधित छात्र/छात्रा के पिता/माता/अभिभावक को महाविद्यालय में भी चर्चा के लिए बुलाया जा सकेगा।
- 03 रैंगिंग को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। इसमें लिप्त पाए जाने वाले छात्र/छात्रा का प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही हेतु भी प्रकरण प्रेषित किया जावेगा।
- 04 छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी छात्र/छात्राओं को यूनिट टेस्ट तिमाही/छ.माही परीक्षा में शामिल होना व उत्तीर्ण होना आवश्यक है, साथ ही नियमित परिक्षार्थी के रूप में विश्वविद्यालय की परीक्षा में शामिल होने के लिए कक्षाओं में न्यूनतम 75प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है।
- 05 समय—समय पर जारी होने वाली सभी आदेशों/निर्देशों का पालन सभी छात्र/छात्राओं को करना आवश्यक होगा।
- 06 स्नातक विषयों में महाविद्यालय में तीन संकायों के अन्तर्गत अध्ययन की सुविधा है। 01 कलासंकाय—हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र 02 विज्ञान संकाय—वनस्पतिशास्त्र, जन्तुविज्ञान, रसायनशास्त्र, भौतिक, गणित 03 वाणिज्य संकाय—समस्त अनिवार्य विषय है। बी.सी.ए, डी.सी.ए, पी.जी.डी.सी.ए. की कक्षाएँ भी संचालित हैं।

- 07 स्नातकोत्तर विषयों में (सेमेस्टरप्रणाली) महाविद्यालय में हिन्दी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं वाणिज्य विषय में अध्ययन की सुविधा है।
- 08 महाविद्यालय में क्रीड़ा हेतु मैदान उपलब्ध है, जहाँ प्रभारी प्राध्यापक के सहयोग से सम्पूर्ण क्रिया—कलापों का संचालन किया जाता है।
- 09 महाविद्यालय में एन.एस.एस. की एक इकाई है, जिसमें 100 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। इस इकाई का प्रत्येक विद्यार्थी सदस्य है। सभी सदस्य योजना के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रमों में रुचि लेकर पारस्परिक सहयोग से योजनाओं को निष्ठापूर्वक पूर्ण कर महाविद्यालय की गौरवशाली परम्परा का निर्वाह करते हैं।
- 10 महाविद्यालय में यूथ रेडक्रास की इकाई संचालित है। जिसके सदस्य महाविद्यालय के सभी प्रवेशित छात्र/छात्राएँ हैं। सक्रिय सदस्यों की एक इकाई गठित की जाती है जो कि सभी प्रकार के रचनात्मक एवं सामाजिक कार्यों में सक्रिय भाग लेने के साथ—साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण कार्यक्रम रक्तदान में छात्र/छात्राएँ भाग लेते हुए स्वेच्छित रक्तदान करते हैं।
- 11 यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम 1956 की धारा 2 (F) 12 (B) में पंजीकृत है।

महाविद्यालय में स्ववित्तीय योजना जनभागीदारी के अन्तर्गत खोले गये विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी—

- 01 बी.सी.ए.— निर्धारित सीट – 60, प्रवेश की पात्रता – बी.सी.ए. पाठ्यक्रम में वे समस्त छात्र/छात्राएँ प्रवेश की पात्रता रखते हैं। जिन्होंने 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। बी.सी.ए. पाठ्यक्रम तीन वर्षों का होगा। गणित विषय से 12 वीं उत्तीर्ण किये हुए छात्र/छात्राओं को ब्रिज कोर्स की परीक्षा नहीं देनी होगी। जब की अन्य दूसरे विषयों के छात्र/छात्राओं को प्रथम वर्ष की परीक्षा के साथ ही ब्रिज कोर्स की परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
प्रवेश शुल्क—बी.सी.ए. पाठ्यक्रम के छात्रों को प्रवेश शुल्क रु. 6000.00 छ: हजार रु. प्रतिवर्ष होगा।
- 02 डी.सी.ए.—निर्धारित सीट 50 – डी.सी.ए. एक वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होगा जिसमें वे सभी छात्र/छात्रायें प्रवेश की पात्रता रखते हैं। जिन्होंने 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।
प्रवेश शुल्क – उक्त कोर्स के लिए प्रवेश शुल्क 5000.00 पांच हजार रु. निर्धारित किया गया है। जो कि प्रवेश के समय ही भुगतान करना होगा।
- 03 पी.जी.डी.सी.ए.—निर्धारितसीट 50—पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों का होना अनिवार्य है। यह पाठ्यक्रम एक वर्ष का होगा।
प्रवेश शुल्क—प्रवेश शुल्क की राशि 10000.00 दस हजार रु. होगी। कम से कम 10 प्रवेश होने पर ही पाठ्यक्रम संचालित किया जावेगा।
- 04 कम्प्यूटर एप्लीकेशन— निर्धारित सीट 50 – यह पाठ्यक्रम तीन वर्षों के लिए होगा। जो छात्र कम्प्यूटर एप्लीकेशन लेंगे, उन छात्रों का एक विषय का ग्रुप कम हो जाएगा। वाणिज्य के प्रथमवर्ष के छात्रों को जो कम्प्यूटर एप्लीकेशन विषय लेंगे उन्हें व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं व्यावसायिक पर्यावरण की परीक्षा नहीं देनी होगी।
प्रवेश शुल्क – जो छात्र उक्त पाठ्यक्रम का चयन करेंगे, उन्हे 5000.00 पांच हजार रु. वार्षिक शुल्क के रूप में प्रवेश के समय भुगतान करना होगा।
- | | | | |
|----|-------------------------------|---|-----|
| 05 | बी.कॉम. प्रथम निर्धारित सीट | — | 140 |
| 06 | बी.एस.सी. प्रथम निर्धारित सीट | — | 210 |
| 07 | बी.ए.प्रथम निर्धारित सीट | — | 220 |

08	एम. ए./एम. कॉम. प्रत्येक विषय	—	40
09	एम.एस.सी. रसायन शास्त्र	—	25
10	एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र	—	20

टीप :- 1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय एवं छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निम्नों का पालन किया जावेगा।

2. प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्राएँ निर्धारित समयावधि तक ही आवेदन कर सकेंगे।
3. प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर ही किया जाएगा।
4. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक कक्षाएँ निर्धारित समय पर हुआ करेगी।
5. प्रवेशित छात्र/छात्राओं की उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्यहोगी।
6. महाविद्यालय अध्यापन के दौरान अनुशासन बनाये रखना आवश्यक एवं अनिवार्य।
7. अनुशासनीनता की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

1. प्रयुक्ति :-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

- 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना
महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र, जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान किये जाने की स्थिति में पूर्व संख्या के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।
- 2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-
स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रतिवर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक (क) ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय मे नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान (ब) में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक (ख) ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को वहां प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3

पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा मे पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3.

प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1

महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध [उपकरण/उपयोग](#) योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।

3.2

विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं मे बारकॉसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेवकशन(अधिकतम 4 सेवकशन) में प्रवेशगुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4.

प्रवेशसूची :-

4.1

प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिकारी देय है, वहां अधिकार देकर कुल प्राप्तांकों को गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2

प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाणपत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाणपत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाणपत्र की मूलप्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाणपत्र पर प्रवेश दिया गया है रद्द की मोहर लगा कर उसे रद्द करना चाहिए।

4.3

निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूलप्रति का निरस्त की सील लगा कर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4

घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रु. 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जूलाई के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5

स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति(डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ. आई. आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं

पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिस में मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचनपत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय में प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रेंगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है। का पालन किया जाए।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार में शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छ.ग. में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षाएँ उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बी.एच.एस.सी. प्रथमवर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।
(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

(क) बी. कॉम./बी.एच.एस.सी./बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम. काम./एम.एच.एस.-सी./एम.ए. पूर्व एवं निवेदित विषय लेकर, बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी./एम.ए. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. नियम :-

- स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
- स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियम प्रवेश :—

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम/द्वितीय एवं एल.एल.एम. पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय, तृतीय एवं एल.एल.एम. द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :—

- (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40 प्रतिशत तथा जहाँ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता, वहाँ 45 प्रतिशत होगी। एल.एल.एम. पूर्वार्द्ध में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त आवेदकों की पात्रता होगी।

5.6 AICTE/ BAR COUNCIL OF INDIA/ MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित द पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होगें।

6. समकक्ष परीक्षा :—

- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) इंडियन कॉसिल फॉर सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी) के सदस्य हैं। उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है। की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- 6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

जैसा की आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को नियमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्ड द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाणपत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेगें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास 10+2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे। वे अलाभकारी स्थिति में होंगे तथा मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे, ताकि उन छात्रों को क्षेत्रिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :—

- 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.काम./बी.एस.—सी/बी.एच.एस.—सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागु होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने की पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से प्रमाणपत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे राज्य से बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथपत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/ विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।
- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अंतिम के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

- 8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी—केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 उपरोक्त कांडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रवेश छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएँ :-

- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जाएगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण—पत्र तथा शपथ—पत्र जिससे प्रमाणित हो की पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर की नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है और या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में पूर्व रूप में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं।
- 9.3 महाविद्यालय में तोड़—फोड़ करने और महाविद्यालय के सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैंगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश देने के लिए अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जाँच करवाये एवं रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।
- 9.4 (क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के जुलाई की स्थिति में कि जाएगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगी।
- (ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारतसरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी भी सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
- (ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

- (घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ङ) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडे वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।
- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी के उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि से उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :—

- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से लिया जायेगा।
(क)स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर, तथा
(ख)विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग—अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :—

- 11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर/अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।
- 11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला के स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीप स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान /तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों में समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूहों के अध्ययन

की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

- 11.5 परंतु उपरोक्त प्रावधान स्वाशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12 आरक्षण :-

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा अर्थात् -

- (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछडे वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगी।

परंतु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती है तो अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परंतु यह और कि पूर्वगामी परंतु क में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथि पर रिक्त रह जाती है तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

- 12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर रूप से अवधारित किया जाएगा।

- (2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्रमांक 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

- 12.3 स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के पुत्र व पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों के प्राप्ताकों को 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

- 12.4 सभी वर्गों के उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

- 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा

विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे – स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की सह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

- 15.6 आरक्षित का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.7 जम्मू कश्मीर विरथापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- 12.8 समय—समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कंडिका 12.1 में दर्शायी गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अधीन रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक ८३/२०१२ नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि— **We direct the Centre and the state Government to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institution and for public appointments.**

13. अधिभार :—

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए की प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण—पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/ जमा किये जाने वाले प्रमाण—पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार की देय होगा।

- 13.1 एन.सी.सी./एन.एस./स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/सेवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

(क) एन.एस.एस. / एन.सी.सी.	'ए' सर्टिफिकेट	02
प्रतिशत		
(ख) एन.एस.एस. / एन.सी.सी.	'बी' सर्टिफिकेट	03
प्रतिशत		
या द्वितीय सोपानउत्तीर्ण स्काउट्स		
(ग) सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स		04
प्रतिशत		
(घ) राज्य स्तरीय संचालनयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04	प्रतिशत
(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को		05 प्रतिशत
(छ) राज्यपाल स्काउट्स		05 प्रतिशत
(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स		10 प्रतिशत
(झ) छत्तीसगढ़ का सबसे सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट		10 प्रतिशत
(य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्गअवार्डप्राप्त एन.सी.सी. केडेट		15 प्रतिशत

	(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिए चयनित करने वाले विद्यार्थियों को।	15 प्रतिशत
13.2	आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत	
13.3	खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/किवज/स्पांकन प्रतियोगिताएँ :-	
	(1)लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतरसभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-	
	(क)प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत	
	(ख)व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत	
13.4(1)	उपर्युक्त कंडिका में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतरसभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रिय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में-	
	(क)प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत	
	(ख)व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत	
	(ग)संभाग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत	
(3)	भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-	
	(क)व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत	
	(ख)प्रथम, द्वितीय, अथवा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत	
	(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत	
13.4	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत	
13.5	छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-	
	(क)छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत	
	(ख)प्रथम, द्वितीय, अथवा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत	
13.6	जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत	
13.7	विशेष प्रोत्साहन:-	
	छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है।	
	(1)इस प्रकार के प्रमाण-पत्र को संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्राणित किया गया हो, एवं	
	(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।	
13.8	प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक का प्रमाण-पत्रों अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु सत्र में प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।	

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :—

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा में संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणाक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उसकी अधिक हो।

15. शोध छात्र :—

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी.के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाईजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकते हैं। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाईजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाईजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्थान में अपना शोध कार्य चालू रख सकता है जहाँ से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

विशेष :—

- 16.1 जाली प्रमाण पत्र गलत जानकारी जान-बूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे निरस्त करने की पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होंगे।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्ण अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों से लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा संस्था निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य काई शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न करने का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

नोट—उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यदि परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना महाविद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय की विभिन्न समितियों के प्रभार

डॉ. एस. अग्रवाल, प्राचार्य एवं संरक्षक

- | | |
|---|---|
| 1. डॉ. एच. एन. दुबे सहा. प्रा. (राजनीति शास्त्र) | — आंतरिक गुणवत्ता आषासन प्रकोष्ठ, रैगिंग निवारण समिति, यू.जी.सी., रुसा। |
| 2. श्री पी.डी. सोनकर सहा. प्रा. (इतिहास) | — नैक संचालन समिति, विकायत निवारण प्रकोष्ठ। |
| 3. श्रीमती प्रतिभा कश्यप सहा. प्रा. (समाजशास्त्र) | — स्पर्श सेल, एल्युमनी प्रकोष्ठ, महिला उत्पीड़न एवं जेन्डर सेन्सटार्झेजन। |
| 4. डॉ. कल्याणी जैन सहा. प्रा. (हिंदी) | — आंतरिक परीक्षा प्रकोष्ठ, रिसर्च/सेमिनार/गोष्ठी आयोजन सेल। |
| 5. श्री सी.बी. मिश्रा सहा. प्रा. (वाणिज्य) | — कैरियर गाइडेन्स, काउंसलिंग एवं मोटिवेशनल सेल। |
| 6. डॉ. व्ही. के. झा सहा. प्रा. (रसायन शास्त्र) | — प्लेसमेंट, सेल। |
| 7. श्री यशवंत सिंह शाक्या | — छात्रावास अधीक्षक |
| 8. श्री आर.पी. सिंह. सहा. ग्रेड-01 | — स्था. छात्रवृत्ति, अशासकीय लेखा, प्रवेष, आवक—जावक |
| 9. श्री चन्द्रभूषण मिश्रा प्रयोगशाला शिक्षक — | — विज्ञान संकाय |
| 10. श्री अनुराग तिवारी, बुक लिफ्टर | — ग्रंथालय प्रभारी |
| 11. श्री सुरेष सिंह, भूत्य | |
| 12. श्री रामाधार पात्रे, स्वीपर | |

शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर

जिला—सूरजपुर(छ.ग.)

प्राचार्य एवं संरक्षक
डॉ. एस. एस. अग्रवाल
मो. नं. — 9425585792

सत्र 2019–20

- 01 शिक्षण सत्र दिनांक **16.06.2019** से प्रारंभ होगा।
- 02 परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन के भीतर सम्बंधित प्रवेश समिति से प्रवेश ले लेवें। विलम्ब से प्राप्त प्रवेश आवेदन पर विचार नहीं होगा।
- 03 प्रवेश लेने के एक सप्ताह पश्चात छात्र/छात्रा अपना प्रवेश पत्र सम्बंधित प्रवेश समिति से प्राप्त कर लें, तथा अपना परिचय—पत्र एवं लायब्रेरी कार्ड बनवा लें।
- 04 महाविद्यालय में अनुशासन एवं पठन—पाठ में छात्र/छात्राओं का सहयोग अनिवार्य है, महाविद्यालय के वातावरण में अशांति फैलाना दण्डनीय है।
- 05 महाविद्यालय परिसर में मोबाइल पूर्णत प्रतिबंधित है।
- 06 कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
- 07 अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं अपना छात्रवृत्ति आवेदन पत्र समय पर जमा करें।
- 08 अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, आंदोलन/हड्डताल/हिंसक कार्यवाही एवं अन्य किसी प्रकार के दुराचरण के दोषी पाये गये छात्र का प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
- 09 प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर ही दिया जायेगा। जो आवेदक बाह्य दबाव के आधार पर प्रवेश पाने का प्रयास करेगा, उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- 10 अवधान राशि (कॉशनमनी) देय होने पर रसीद जमा के पश्चात मनीआर्डर द्वारा सम्बंधित के पते पर भेजी जावेगी।

शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर
महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम

संकाय	कक्षा	विषय
कलासंकाय	स्नातक	हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीतिविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र
	स्नातकोत्तर	हिन्दी, राजनीतिविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र (सेमेस्टरप्रणाली)
वाणिज्य संकाय	स्नातक	सभी अनिवार्य विषय
	स्नातकोत्तर	एम. काम. (सेमेस्टरप्रणाली)
विज्ञानसंकाय	स्नातक	वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र, भौतिक, गणित
	स्नातकोत्तर	एम.एस. सी. रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, (सेमेस्टरप्रणाली)
कम्प्यूटर	स्नातक	बी.सी.ए.
	डिप्लोमा	डी.सी.ए., पी.जी.डी.सी.ए.

महाविद्यालय की सेट-अप की जानकारी

पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	रिक्त पद के विरुद्ध अध्यापन का कार्यअतिथिव्याख्याताओं से करायाजाताहै।
प्राचार्य	1	1	0	

प्राध्यापक

हिन्दी	1	—	1	
राजनीति	1	—	1	
समाजशास्त्र	1	—	1	
अर्थशास्त्र	1	—	1	
वाणिज्य	1	—	1	
रसायनशास्त्र	1	—	1	
वनस्पतिशास्त्र	1	—	1	

सहायकप्राध्यापक

हिन्दी	1	1	0	
अंग्रेजी	1	—	1	
राजनीति	2	1	1	
समाजशास्त्र	1	1	0	
इतिहास	1	0	1	
अर्थशास्त्र	1	1	0	
वाणिज्य	1	1	0	
रसायनशास्त्र	1	1	0	
वनस्पतिशास्त्र	1	1	0	
जन्मविज्ञान	1	1	0	
भौतिक	1	—	1	
गणित	1	—	1	
ग्रथपाल	1	—	1	
क्रीड़ाधिकारी	1	—	1	

तृतीय श्रेणी

छात्रावास अधीक्षक	1	1	0	
सहायकग्रेड-1	1	1	0	
सहायकग्रेड-2	1	0	1	
सहायकग्रेड-3	2	—	2	
प्रयोगशालाशिक्षक	3	2	1	

चतुर्थश्रेणी

प्रयोगशालापरि.	2	0	2	
बुकलिफ्टर	1	1	0	
भृत्य	2	1	1	
चौकीदार	1	0	1	
स्वीपर	1	1	0	
भृत्य छात्रावास	2	0	2	
स्वच्छकछात्रावास	1	0	1	
अंशका. स्वच्छक(छात्रावास)	1	0	1	

परिचय—

शासकीय महाविद्यालय सूरजपुर की स्थापना नागरिकों के लम्बे संघर्ष के परिणामस्वरूप सत्र 1984–85 में तात्कालिक उच्च शिक्षा मंत्री भवर सिंह पोर्ट के द्वारा खोलने की घोषणा की गई थी। प्रारंभ में सीमित संसाधनों के साथ नगरपालिका से लगे नेहरू बालसदन के छोटे से भवन व नगरपालिका के सामुदायिक हॉल में महाविद्यालय की शुरुआत की गई। जनसहयोग से फर्नीचर, पंखा एवं अन्य आवश्यक संसाधन जुटा कर कला एवं वाणिज्य संकाय के प्रथम वर्ष की कक्षाएँ प्रारंभ की गई, और बाद में नगरपालिका के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर दो अतिरिक्त कमरे महाविद्यालय को प्रदान किये गए, जिसमें बी.ए. एवं बी.कॉम. अंतिम की कक्षाएँ प्रारंभ हो सकी।

सात वर्षों के बाद 17 सितम्बर 1991 में तात्कालिक मुख्यमंत्री श्रीसुंदर लाल पटवा ने 26.5 एकड़ भू-खण्ड के साथ महाविद्यालय को स्वयं के भवन की सौगात दी। भवन मिल जाने से छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण मिला, समय के साथ-साथ महाविद्यालय में नियमित प्रवेशित छात्र/छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ती गई। उल्लेखनीय है कि अविभाजित मध्यप्रदेश में सबसे बड़ी तहसील होने का गौरव प्राप्त करने वाले आज का जिला मुख्यालय सूरजपुर के महाविद्यालय को शासन के द्वारा जिले का अग्रणी महाविद्यालय का दर्जा दिया गया है तथा नैक मूल्यांकन 2016–17 में ग्रेड-'बी' प्रदान किया गया है।

शासकीय महाविद्यालय सूरजपुर प्रारंभ में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर से सम्बद्ध रहा, वर्तमान में यह महाविद्यालय सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर से सम्बद्ध है। महाविद्यालय का भवन सूरजपुर के गुरु घासीदास वार्डक्रमांक 09 में स्थित है। महाविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वर्तमान में संशोधित नामकरण पूर्व विधायक पं. रेवती रमण मिश्र के नाम से रखा गया है।

महाविद्यालय की अन्य व्यवस्थाएँ जिनका पालन सभी छात्र/छात्राओं को करना अनिवार्य है :—

- 01 ड्रेसकोड—महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू है, सभी छात्र/छात्राएँ कक्षाओं में एवं महाविद्यालय के अन्य कार्यक्रमों में निर्धारित गणवेश में उपस्थित होंगे।
- 02 छात्र अभिभावक योजना — छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में छात्र अभिभावक योजना लागू है, जिसके प्रावधान के अनुसार प्रत्येक छात्र/छात्रा के लिए महाविद्यालय का एक प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक अभिभावक के रूप में कार्य करेगा, इस छात्र अभिभावक के समक्ष संबंधित छात्र/छात्रा पठन-पाठन से संबंधित व अन्य समस्याओं को व्यक्त कर सकेगा/सकेगी। आवश्यकता होने पर संबंधित छात्र/छात्रा के पिता/माता/अभिभावक को महाविद्यालय में भी चर्चा के लिए बुलाया जा सकेगा।
- 03 रैंगिंग को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। इसमें लिप्त पाए जाने वाले छात्र/छात्रा का प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही हेतु भी प्रकरण प्रेषित किया जावेगा।
- 04 छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी छात्र/छात्राओं को यूनिट टेस्ट तिमाही/छ.माही परीक्षा में शामिल होना व उत्तीर्ण होना आवश्यक है, साथ ही नियमित परिक्षार्थी के रूप में विश्वविद्यालय की परीक्षा में शामिल होने के लिए कक्षाओं में न्यूनतम 75प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है।
- 05 समय—समय पर जारी होने वाली सभी आदेशों/निर्देशों का पालन सभी छात्र/छात्राओं को करना आवश्यक होगा।
- 06 स्नातक विषयों में महाविद्यालय में तीन संकायों के अन्तर्गत अध्ययन की सुविधा है। 01 कलासंकाय—हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र 02 विज्ञान संकाय—वनस्पतिशास्त्र, जन्तुविज्ञान, रसायनशास्त्र, भौतिक, गणित 03 वाणिज्य संकाय—समस्त अनिवार्य विषय है। बी.सी.ए, डी.सी.ए, पी.जी.डी.सी.ए. की कक्षाएँ भी संचालित हैं।

- 07 स्नातकोत्तर विषयों में (सेमेस्टरप्रणाली) महाविद्यालय में हिन्दी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं वाणिज्य विषय में अध्ययन की सुविधा है।
- 08 महाविद्यालय में क्रीड़ा हेतु मैदान उपलब्ध है, जहाँ प्रभारी प्राध्यापक के सहयोग से सम्पूर्ण क्रिया—कलापों का संचालन किया जाता है।
- 09 महाविद्यालय में एन.एस.एस. की एक इकाई है, जिसमें 100 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। इस इकाई का प्रत्येक विद्यार्थी सदस्य है। सभी सदस्य योजना के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रमों में रुचि लेकर पारस्परिक सहयोग से योजनाओं को निष्ठापूर्वक पूर्ण कर महाविद्यालय की गौरवशाली परम्परा का निर्वाह करते हैं।
- 10 महाविद्यालय में यूथ रेडक्रास की इकाई संचालित है। जिसके सदस्य महाविद्यालय के सभी प्रवेशित छात्र/छात्राएँ हैं। सक्रिय सदस्यों की एक इकाई गठित की जाती है जो कि सभी प्रकार के रचनात्मक एवं सामाजिक कार्यों में सक्रिय भाग लेने के साथ—साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण कार्यक्रम रक्तदान में छात्र/छात्राएँ भाग लेते हुए स्वेच्छित रक्तदान करते हैं।
- 11 यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम 1956 की धारा 2 (F) 12 (B) में पंजीकृत है।

महाविद्यालय में स्ववित्तीय योजना जनभागीदारी के अन्तर्गत खोले गये विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी—

- 01 बी.सी.ए.— निर्धारित सीट – 60, प्रवेश की पात्रता – बी.सी.ए. पाठ्यक्रम में वे समस्त छात्र/छात्राएँ प्रवेश की पात्रता रखते हैं। जिन्होंने 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। बी.सी.ए. पाठ्यक्रम तीन वर्षों का होगा। गणित विषय से 12 वीं उत्तीर्ण किये हुए छात्र/छात्राओं को ब्रिज कोर्स की परीक्षा नहीं देनी होगी। जब की अन्य दूसरे विषयों के छात्र/छात्राओं को प्रथम वर्ष की परीक्षा के साथ ही ब्रिज कोर्स की परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
प्रवेश शुल्क—बी.सी.ए. पाठ्यक्रम के छात्रों को प्रवेश शुल्क रु. 6000.00 छ: हजार रु. प्रतिवर्ष होगा।
- 02 डी.सी.ए.—निर्धारित सीट 50 – डी.सी.ए. एक वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होगा जिसमें वे सभी छात्र/छात्रायें प्रवेश की पात्रता रखते हैं। जिन्होंने 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।
प्रवेश शुल्क – उक्त कोर्स के लिए प्रवेश शुल्क 5000.00 पांच हजार रु. निर्धारित किया गया है। जो कि प्रवेश के समय ही भुगतान करना होगा।
- 03 पी.जी.डी.सी.ए.—निर्धारितसीट 50—पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों का होना अनिवार्य है। यह पाठ्यक्रम एक वर्ष का होगा।
प्रवेश शुल्क—प्रवेश शुल्क की राशि 10000.00 दस हजार रु. होगी। कम से कम 10 प्रवेश होने पर ही पाठ्यक्रम संचालित किया जावेगा।
- 04 कम्प्यूटर एप्लीकेशन— निर्धारित सीट 50 – यह पाठ्यक्रम तीन वर्षों के लिए होगा। जो छात्र कम्प्यूटर एप्लीकेशन लेंगे, उन छात्रों का एक विषय का ग्रुप कम हो जाएगा। वाणिज्य के प्रथमवर्ष के छात्रों को जो कम्प्यूटर एप्लीकेशन विषय लेंगे उन्हें व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं व्यावसायिक पर्यावरण की परीक्षा नहीं देनी होगी।
प्रवेश शुल्क – जो छात्र उक्त पाठ्यक्रम का चयन करेंगे, उन्हे 5000.00 पांच हजार रु. वार्षिक शुल्क के रूप में प्रवेश के समय भुगतान करना होगा।
- | | | | |
|----|-------------------------------|---|-----|
| 05 | बी.कॉम. प्रथम निर्धारित सीट | – | 140 |
| 06 | बी.एस.सी. प्रथम निर्धारित सीट | – | 210 |
| 07 | बी.ए.प्रथम निर्धारित सीट | – | 220 |

08	एम. ए./एम. कॉम. प्रत्येक विषय	—	40
09	एम.एस.सी. रसायन शास्त्र	—	30
10	एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र	—	25

टीप :- 1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय एवं छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निम्नों का पालन किया जावेगा ।

2. प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्राएँ निर्धारित समयावधि तक ही आवेदन कर सकेंगे ।
3. प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर ही किया जाएगा ।
4. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक कक्षाएँ निर्धारित समय पर हुआ करेगी ।
5. प्रवेशित छात्र/छात्राओं की उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्यहोगी ।
6. महाविद्यालय अध्यापन के दौरान अनुशासन बनाये रखना आवश्यक एवं अनिवार्य ।
7. अनुशासनीनता की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

1. प्रयुक्ति :-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे ।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा । प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है ।

2. प्रवेश की तिथि :-

- 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना
महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे । विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र, जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी । बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान किये जाने की स्थिति में पूर्व संख्या के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें ।
- 2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-
स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रतिवर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे । परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी । कडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा ।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक (क) ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय मे नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान (ब) में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक (ख) ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को वहां प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3

पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा मे पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3.

प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1

महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध [उपकरण/उपयोग](#) योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।

3.2

विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं मे बारकौसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेवकशन(अधिकतम 4 सेवकशन) में प्रवेशगुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4.

प्रवेशसूची :-

4.1

प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिकारी देय है, वहां अधिकार देकर कुल प्राप्तांकों को गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2

प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाणपत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाणपत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाणपत्र की मूलप्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाणपत्र पर प्रवेश दिया गया है रद्द की मोहर लगा कर उसे रद्द करना चाहिए।

4.3

निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूलप्रति का निरस्त की सील लगा कर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4

घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रु. 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जूलाई के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5

स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति(डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ. आई. आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं

पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिस में मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचनपत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय में प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रेंगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है। का पालन किया जाए।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार में शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छ.ग. में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षाएँ उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बी.एच.एस.सी. प्रथमवर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

(क) बी. कॉम./बी.एच.एस.सी./बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम. काम./एम.एच.एस.-सी./एम.ए. पूर्व एवं निवेदित विषय लेकर, बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी./एम.ए. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. नियम :-

- स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
- स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियम प्रवेश :—

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम/द्वितीय एवं एल.एल.एम. पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय, तृतीय एवं एल.एल.एम. द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :—

- (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40 प्रतिशत तथा जहाँ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता, वहाँ 45 प्रतिशत होगी। एल.एल.एम. पूर्वार्द्ध में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त आवेदकों की पात्रता होगी।

5.6 AICTE/ BAR COUNCIL OF INDIA/ MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित द पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होगें।

6. समकक्ष परीक्षा :—

- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) इंडियन कॉसिल फॉर सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी) के सदस्य हैं। उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है। की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- 6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

जैसा की आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को नियमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाणपत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेगें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास 10+2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे। वे अलाभकारी स्थिति में होंगे तथा मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे, ताकि उन छात्रों को क्षेत्रिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :—

- 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.काम./बी.एस.—सी/बी.एच.एस.—सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागु होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने की पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से प्रमाणपत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे राज्य से बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथपत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/ विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।
- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अंतिम के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

- 8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी—केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 उपरोक्त कांडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रवेश छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएँ :-

- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जाएगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण—पत्र तथा शपथ—पत्र जिससे प्रमाणित हो की पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर की नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है और या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में पूर्व रूप में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं।
- 9.3 महाविद्यालय में तोड़—फोड़ करने और महाविद्यालय के सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैंगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश देने के लिए अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जाँच करवाये एवं रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।
- 9.4 (क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के जुलाई की स्थिति में कि जाएगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगी।
- (ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारतसरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी भी सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
- (ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

- (घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ङ) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडे वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।
- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी के उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि से उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :—

- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से लिया जायेगा।
(क)स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर, तथा
(ख)विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग—अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :—

- 11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर/अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।
- 11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला के स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीप स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान /तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों में समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूहों के अध्ययन

की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

- 11.5 परंतु उपरोक्त प्रावधान स्वाशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12 आरक्षण :—

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :—

- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा अर्थात् –
- (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगी।

परंतु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती है तो अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परंतु यह और कि पूर्वगामी परंतु क में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथि पर रिक्त रह जाती है तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

- 12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर रूप से अवधारित किया जाएगा।
(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्रमांक 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।
- 12.3 स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के पुत्र व पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों के प्राप्ताकों को 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।
- 12.4 सभी वर्गों के उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा

विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे – स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की सह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

- 15.6 आरक्षित का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- 12.8 समय—समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कंडिका 12.1 में दर्शायी गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अधीन रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक ८३/२०१२ नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि— **We direct the Centre and the state Government to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institution and for public appointments.**

13. अधिभार :—

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए की प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण—पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/ जमा किये जाने वाले प्रमाण—पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार की देय होगा।

- 13.1 एन.सी.सी./एन.एस./स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/सेवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

(क) एन.एस.एस. / एन.सी.सी.	'ए' सर्टिफिकेट	02
प्रतिशत		
(ख) एन.एस.एस. / एन.सी.सी.	'बी' सर्टिफिकेट	03
प्रतिशत		
या द्वितीय सोपानउत्तीर्ण स्काउट्स		
(ग) सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स		04
प्रतिशत		
(घ) राज्य स्तरीय संचालनयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04	प्रतिशत
(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को		05 प्रतिशत
(छ) राज्यपाल स्काउट्स		05 प्रतिशत
(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स		10 प्रतिशत
(झ) छत्तीसगढ़ का सबसे सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट		10 प्रतिशत
(य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्गअवार्डप्राप्त एन.सी.सी. केडेट		15 प्रतिशत

	(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिए चयनित करने वाले विद्यार्थियों को।	15 प्रतिशत
13.2	आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत	
13.3	खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/किवज/स्पांकन प्रतियोगिताएँ :-	
	(1)लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतरसभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-	
	(क)प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत	
	(ख)व्यवित्तगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत	
13.4(1)	उपर्युक्त कंडिका में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतरसभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रिय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में-	
	(क)प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत	
	(ख)व्यवित्तगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत	
	(ग)संभाग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत	
(3)	भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-	
	(क)व्यवित्तगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत	
	(ख)प्रथम, द्वितीय, अथवा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत	
	(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत	
13.4	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत	
13.5	छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-	
	(क)छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत	
	(ख)प्रथम, द्वितीय, अथवा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत	
13.6	जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत	
13.7	विशेष प्रोत्साहन:-	
	छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है।	
	(1)इस प्रकार के प्रमाण-पत्र को संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्राणित किया गया हो, एवं	
	(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।	
13.8	प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक का प्रमाण-पत्रों अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु सत्र में प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।	

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :—

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा में संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणाक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उसकी अधिक हो।

15. शोध छात्र :—

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी.के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाईजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकते हैं। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाईजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाईजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्थान में अपना शोध कार्य चालू रख सकता है जहाँ से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

विशेष :—

- 16.1 जाली प्रमाण पत्र गलत जानकारी जान-बूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे निरस्त करने की पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होंगे।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्ण अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों से लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा संस्था निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य काई शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न करने का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

नोट—उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यदि परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना महाविद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय की विभिन्न समितियों के प्रभार

डॉ. एस. एस. अग्रवाल, प्राचार्य एवं संरक्षक

- | | |
|--|--|
| 1. डॉ. एच. एन. दुबे सहा. प्रा. (राजनीति शास्त्र) | — क्रय समिति, अपलेखन समिति, यू.जी.सी., रुसा, विधिक साक्षरता। |
| 2. श्रीमती प्रतिभा कश्यप सहा. प्रा. (समाजशास्त्र) | — विकायत निवारण प्रकोष्ठ, स्पर्श सेल, सांस्कृतिक गतिविधि समिति, एल्युमनी प्रकोष्ठ, ग्रंथालय समिति। |
| 3. डॉ. कल्याणी जैन सहा. प्रा. (हिंदी) | — छात्र संघ, युवा उत्सव एवं साहित्यिक गतिविधि समिति, विद्यक पालक समिति, स्वच्छता समिति। |
| 4. श्री सी.बी. मिश्रा सहा. प्रा. (वाणिज्य) | — राष्ट्रीय सेवा योजना, रेडक्रॉस, रेड रिबन एवं इको क्लब, आंतरिक अंकेक्षण समिति, क्रीड़ा। |
| 5. डॉ. व्ही. के. झा सहा. प्रा. (रसायन शास्त्र) | — नैक सेल, रैगिंग निवारण समिति, अनुषासन समिति, सेमिनार, स्वयंम प्रकोष्ठ। |
| 6. श्री टी.आर. राहंगड़ाले सहा. प्रा. (वनस्पति शास्त्र) | — आंतरिक परीक्षा प्रकोष्ठ, सूचना अधिकार, एक भारत श्रेष्ठ भारत। |
| 7. डॉ. चन्दन कुमार अग्रवाल सहा. प्रा. (जन्तु विज्ञान) | — आंतरिक गुणवत्ता आष्वासन प्रकोष्ठ, कैरियर गाइडेन्स, काउंसलिंग, प्लेसमेंट, मीडिया सेल। |
| 8. श्री आनंद कुमार पैंकरा सहा. प्रा. (अर्थशास्त्र) | — एस.टी. / एस.सी. सेल, लोक सेवा गारंटी प्रकोष्ठ। |
| 9. श्री यशवंत सिंह शाक्या | — छात्रावास अधीक्षक |
| 10. श्री आर.पी. सिंह. सहा. ग्रेड-01 | — स्था. छात्रवृत्ति, अशासकीय लेखा, प्रवेष, आवक-जावक |
| 11. श्री चन्द्रभूषण मिश्रा प्रयोगशाला शिक्षक | — विज्ञान संकाय |
| 12. श्री संजय कुमार सिंह | — विज्ञान संकाय |
| 13. श्री अनुराग तिवारी, बुक लिफ्टर | — ग्रंथालय प्रभारी |
| 14. श्री सुरेष सिंह, भृत्य | |
| 15. श्री रामाधार पात्रे, स्वीपर | |

शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर

जिला—सूरजपुर(छ.ग.)

प्राचार्य एवं संरक्षक
डॉ. एस. एस. अग्रवाल
मो. नं. — 9425585792

सत्र 2020–21

- 01 शिक्षण सत्र दिनांक **16.06.2020** से प्रारंभ होगा।
- 02 परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन के भीतर सम्बंधित प्रवेश समिति से प्रवेश ले लेवें। विलम्ब से प्राप्त प्रवेश आवेदन पर विचार नहीं होगा।
- 03 प्रवेश लेने के एक सप्ताह पश्चात छात्र/छात्रा अपना प्रवेश पत्र सम्बंधित प्रवेश समिति से प्राप्त कर लें, तथा अपना परिचय—पत्र एवं लायब्रेरी कार्ड बनवा लें।
- 04 महाविद्यालय में अनुशासन एवं पठन—पाठ में छात्र/छात्राओं का सहयोग अनिवार्य है, महाविद्यालय के वातावरण में अशांति फैलाना दण्डनीय है।
- 05 महाविद्यालय परिसर में मोबाइल पूर्णत प्रतिबंधित है।
- 06 कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
- 07 अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं अपना छात्रवृत्ति आवेदन पत्र समय पर जमा करें।
- 08 अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, आंदोलन/हड्डताल/हिंसक कार्यवाही एवं अन्य किसी प्रकार के दुराचरण के दोषी पाये गये छात्र का प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
- 09 प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर ही दिया जायेगा। जो आवेदक बाह्य दबाव के आधार पर प्रवेश पाने का प्रयास करेगा, उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- 10 अवधान राशि (कॉशनमनी) देय होने पर रसीद जमा के पश्चात मनीआर्डर द्वारा सम्बंधित के पते पर भेजी जावेगी।

शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर
महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम

संकाय	कक्षा	विषय
कला संकाय	स्नातक	हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र
	स्नातकोत्तर	हिन्दी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र (सेमेस्टर प्रणाली)
वाणिज्य संकाय	स्नातक	सभी अनिवार्य विषय
	स्नातकोत्तर	एम. कॉम. (सेमेस्टर प्रणाली)
विज्ञान संकाय	स्नातक	वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक, गणित
	स्नातकोत्तर	एम.एस. सी. रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, (सेमेस्टर प्रणाली)
कम्प्यूटर	स्नातक	बी.सी.ए.
	डिप्लोमा	डी.सी.ए., पी.जी.डी.सी.ए.

महाविद्यालय की सेट-अप की जानकारी

पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	रिक्त पद के विरुद्ध अध्यापन का कार्यअतिथिव्याख्याताओं से करायाजाताहै।
प्राचार्य	1	1	0	

प्राध्यापक

हिन्दी	1	—	1	
राजनीति	1	—	1	
समाजशास्त्र	1	—	1	
अर्थशास्त्र	1	—	1	
वाणिज्य	1	—	1	
रसायनशास्त्र	1	—	1	
वनस्पतिशास्त्र	1	—	1	

सहायकप्राध्यापक

हिन्दी	1	1	0	
अंग्रेजी	1	—	1	
राजनीति	2	1	1	
समाजशास्त्र	1	1	0	
इतिहास	1	0	1	
अर्थशास्त्र	1	1	0	
वाणिज्य	1	1	0	
रसायनशास्त्र	1	1	0	
वनस्पतिशास्त्र	1	1	0	
जन्मविज्ञान	1	1	0	
भौतिक	1	—	1	
गणित	1	—	1	
ग्रथपाल	1	—	1	
क्रीडाधिकारी	1	—	1	

तृतीय श्रेणी

छात्रावास अधीक्षक	1	1	0	
सहायकग्रेड-1	1	1	0	
सहायकग्रेड-2	1	0	1	
सहायकग्रेड-3	2	—	2	
प्रयोगशालाशिक्षक	3	2	1	

चतुर्थश्रेणी

प्रयोगशालापारि.	2	0	2	
बुकलिफ्टर	1	1	0	
भृत्य	2	1	1	
चौकीदार	1	0	1	
स्वीपर	1	1	0	
भृत्य छात्रावास	2	0	2	
स्वच्छकछात्रावास	1	0	1	
अंशका. स्वच्छक(छात्रावास)	1	0	1	

परिचय—

शासकीय महाविद्यालय सूरजपुर की स्थापना नागरिकों के लम्बे संघर्ष के परिणामस्वरूप सत्र 1984–85 में तात्कालिक उच्च शिक्षा मंत्री भवर सिंह पोर्ट के द्वारा खोलने की घोषणा की गई थी। प्रारंभ में सीमित संसाधनों के साथ नगरपालिका से लगे नेहरू बालसदन के छोटे से भवन व नगरपालिका के सामुदायिक हॉल में महाविद्यालय की शुरुआत की गई। जनसहयोग से फर्नीचर, पंखा एवं अन्य आवश्यक संसाधन जुटा कर कला एवं वाणिज्य संकाय के प्रथम वर्ष की कक्षाएँ प्रारंभ की गई, और बाद में नगरपालिका के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर दो अतिरिक्त कमरे महाविद्यालय को प्रदान किये गए, जिसमें बी.ए. एवं बी.कॉम. अंतिम की कक्षाएँ प्रारंभ हो सकी।

सात वर्षों के बाद 17 सितम्बर 1991 में तात्कालिक मुख्यमंत्री श्रीसुंदर लाल पटवा ने 26.5 एकड़ भू-खण्ड के साथ महाविद्यालय को स्वयं के भवन की सौगात दी। भवन मिल जाने से छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण मिला, समय के साथ-साथ महाविद्यालय में नियमित प्रवेशित छात्र/छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ती गई। उल्लेखनीय है कि अविभाजित मध्यप्रदेश में सबसे बड़ी तहसील होने का गौरव प्राप्त करने वाले आज का जिला मुख्यालय सूरजपुर के महाविद्यालय को शासन के द्वारा जिले का अग्रणी महाविद्यालय का दर्जा दिया गया है तथा नैक मूल्यांकन 2016–17 में ग्रेड–‘बी’ प्रदान किया गया है।

शासकीय महाविद्यालय सूरजपुर प्रारंभ में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर से सम्बद्ध रहा, वर्तमान में यह महाविद्यालय सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर से सम्बद्ध है। महाविद्यालय का भवन सूरजपुर के गुरु घासीदास वार्डक्रमांक 09 में स्थित है। महाविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वर्तमान में संशोधित नामकरण पूर्व विधायक पं. रेवती रमण मिश्र के नाम से रखा गया है।

महाविद्यालय की अन्य व्यवस्थाएँ जिनका पालन सभी छात्र/छात्राओं को करना अनिवार्य है :—

- 01 ड्रेसकोड—महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू है, सभी छात्र/छात्राएँ कक्षाओं में एवं महाविद्यालय के अन्य कार्यक्रमों में निर्धारित गणवेश में उपस्थित होंगे।
- 02 छात्र अभिभावक योजना — छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में छात्र अभिभावक योजना लागू है, जिसके प्रावधान के अनुसार प्रत्येक छात्र/छात्र के लिए महाविद्यालय का एक प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक अभिभावक के रूप में कार्य करेगा, इस छात्र अभिभावक के समक्ष संबंधित छात्र/छात्र पठन-पाठन से संबंधित व अन्य समस्याओं को व्यक्त कर सकेगा/सकेगी। आवश्यकता होने पर संबंधित छात्र/छात्र के पिता/माता/अभिभावक को महाविद्यालय में भी चर्चा के लिए बुलाया जा सकेगा।
- 03 रैंगिंग को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। इसमें लिप्त पाए जाने वाले छात्र/छात्र का प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही हेतु भी प्रकरण प्रेषित किया जावेगा।
- 04 छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी छात्र/छात्राओं को यूनिट टेस्ट तिमाही/छ.माही परीक्षा में शामिल होना व उत्तीर्ण होना आवश्यक है, साथ ही नियमित परिक्षार्थी के रूप में विश्वविद्यालय की परीक्षा में शामिल होने के लिए कक्षाओं में न्यूनतम 75प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है।
- 05 समय—समय पर जारी होने वाली सभी आदेशों/निर्देशों का पालन सभी छात्र/छात्राओं को करना आवश्यक होगा।
- 06 स्नातक विषयों में महाविद्यालय में तीन संकायों के अन्तर्गत अध्ययन की सुविधा है। 01 कलासंकाय—हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र 02 विज्ञान संकाय—वनस्पतिशास्त्र, जन्तुविज्ञान, रसायनशास्त्र, भौतिक, गणित 03 वाणिज्य संकाय—समस्त अनिवार्य विषय है। बी.सी.ए, डी.सी.ए, पी.जी.डी.सी.ए. की कक्षाएँ भी संचालित हैं।

- 07 स्नातकोत्तर विषयों में (सेमेस्टरप्रणाली) महाविद्यालय में हिन्दी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं वाणिज्य विषय में अध्ययन की सुविधा है।
- 08 महाविद्यालय में क्रीड़ा हेतु मैदान उपलब्ध है, जहाँ प्रभारी प्राध्यापक के सहयोग से सम्पूर्ण क्रिया—कलापों का संचालन किया जाता है।
- 09 महाविद्यालय में एन.एस.एस. की एक इकाई है, जिसमें 100 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। इस इकाई का प्रत्येक विद्यार्थी सदस्य है। सभी सदस्य योजना के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रमों में रुचि लेकर पारस्परिक सहयोग से योजनाओं को निष्ठापूर्वक पूर्ण कर महाविद्यालय की गौरवशाली परम्परा का निर्वाह करते हैं।
- 10 महाविद्यालय में यूथ रेडक्रास की इकाई संचालित है। जिसके सदस्य महाविद्यालय के सभी प्रवेशित छात्र/छात्राएँ हैं। सक्रिय सदस्यों की एक इकाई गठित की जाती है जो कि सभी प्रकार के रचनात्मक एवं सामाजिक कार्यों में सक्रिय भाग लेने के साथ—साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण कार्यक्रम रक्तदान में छात्र/छात्राएँ भाग लेते हुए स्वेच्छित रक्तदान करते हैं।
- 11 यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम 1956 की धारा 2 (F) 12 (B) में पंजीकृत है।

महाविद्यालय में स्ववित्तीय योजना जनभागीदारी के अन्तर्गत खोले गये विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी—

- 01 बी.सी.ए.— निर्धारित सीट – 60, प्रवेश की पात्रता – बी.सी.ए. पाठ्यक्रम में वे समस्त छात्र/छात्राएँ प्रवेश की पात्रता रखते हैं। जिन्होंने 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। बी.सी.ए. पाठ्यक्रम तीन वर्षों का होगा। गणित विषय से 12 वीं उत्तीर्ण किये हुए छात्र/छात्राओं को ब्रिज कोर्स की परीक्षा नहीं देनी होगी। जब की अन्य दूसरे विषयों के छात्र/छात्राओं को प्रथम वर्ष की परीक्षा के साथ ही ब्रिज कोर्स की परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
प्रवेश शुल्क—बी.सी.ए. पाठ्यक्रम के छात्रों को प्रवेश शुल्क रु. 6000.00 छ: हजार रु. प्रतिवर्ष होगा।
- 02 डी.सी.ए.—निर्धारित सीट 50 – डी.सी.ए. एक वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होगा जिसमें वे सभी छात्र/छात्रायें प्रवेश की पात्रता रखते हैं। जिन्होंने 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।
प्रवेश शुल्क – उक्त कोर्स के लिए प्रवेश शुल्क 5000.00 पांच हजार रु. निर्धारित किया गया है। जो कि प्रवेश के समय ही भुगतान करना होगा।
- 03 पी.जी.डी.सी.ए.—निर्धारितसीट 50—पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों का होना अनिवार्य है। यह पाठ्यक्रम एक वर्ष का होगा।
प्रवेश शुल्क—प्रवेश शुल्क की राशि 10000.00 दस हजार रु. होगी। कम से कम 10 प्रवेश होने पर ही पाठ्यक्रम संचालित किया जावेगा।
- 04 कम्प्यूटर एप्लीकेशन— निर्धारित सीट 50 – यह पाठ्यक्रम तीन वर्षों के लिए होगा। जो छात्र कम्प्यूटर एप्लीकेशन लेंगे, उन छात्रों का एक विषय का ग्रुप कम हो जाएगा। वाणिज्य के प्रथमवर्ष के छात्रों को जो कम्प्यूटर एप्लीकेशन विषय लेंगे उन्हें व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं व्यावसायिक पर्यावरण की परीक्षा नहीं देनी होगी।
प्रवेश शुल्क – जो छात्र उक्त पाठ्यक्रम का चयन करेंगे, उन्हे 5000.00 पांच हजार रु. वार्षिक शुल्क के रूप में प्रवेश के समय भुगतान करना होगा।
- | | | | |
|----|-------------------------------|---|-----|
| 05 | बी.कॉम. प्रथम निर्धारित सीट | – | 140 |
| 06 | बी.एस.सी. प्रथम निर्धारित सीट | – | 210 |
| 07 | बी.ए.प्रथम निर्धारित सीट | – | 220 |

08	एम. ए./एम. कॉम. प्रत्येक विषय	—	40
09	एम.एस.सी. रसायन शास्त्र	—	30
10	एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र	—	25

टीप :- 1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय एवं छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निम्नों का पालन किया जावेगा।

2. प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्राएँ निर्धारित समयावधि तक ही आवेदन कर सकेंगे।
3. प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर ही किया जाएगा।
4. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक कक्षाएँ निर्धारित समय पर हुआ करेगी।
5. प्रवेशित छात्र/छात्राओं की उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्यहोगी।
6. महाविद्यालय अध्यापन के दौरान अनुशासन बनाये रखना आवश्यक एवं अनिवार्य।
7. अनुशासनीनता की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

1. प्रयुक्ति :-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

- 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना
महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र, जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान किये जाने की स्थिति में पूर्व संख्या के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।
- 2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-
स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रतिवर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक (क) ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय मे नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान (ब) में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक (ख) ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को वहां प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3

पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा मे पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3.

प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1

महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध [उपकरण/उपयोग](#) योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।

3.2

विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं मे बारकौसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेवकशन(अधिकतम 4 सेवकशन) में प्रवेशगुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4.

प्रवेशसूची :-

4.1

प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिकारी देय है, वहां अधिकार देकर कुल प्राप्तांकों को गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2

प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाणपत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाणपत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाणपत्र की मूलप्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाणपत्र पर प्रवेश दिया गया है रद्द की मोहर लगा कर उसे रद्द करना चाहिए।

4.3

निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूलप्रति का निरस्त की सील लगा कर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4

घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रु. 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जूलाई के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5

स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति(डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ. आई. आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं

पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिस में मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचनपत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय में प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रेंगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है। का पालन किया जाए।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार में शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छ.ग. में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षाएँ उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बी.एच.एस.सी. प्रथमवर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

(क) बी. कॉम./बी.एच.एस.सी./बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम. काम./एम.एच.एस.-सी./एम.ए. पूर्व एवं निवेदित विषय लेकर, बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी./एम.ए. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. नियम :-

- स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
- स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियम प्रवेश :—

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम/द्वितीय एवं एल.एल.एम. पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय, तृतीय एवं एल.एल.एम. द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :—

- (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40 प्रतिशत तथा जहाँ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता, वहाँ 45 प्रतिशत होगी। एल.एल.एम. पूर्वार्द्ध में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त आवेदकों की पात्रता होगी।

5.6 AICTE/ BAR COUNCIL OF INDIA/ MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित द पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होगें।

6. समकक्ष परीक्षा :—

- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) इंडियन कॉसिल फॉर सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी) के सदस्य हैं। उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है। की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- 6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

जैसा की आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को नियमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्ड द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाणपत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेगें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास 10+2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे। वे अलाभकारी स्थिति में होंगे तथा मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे, ताकि उन छात्रों को क्षेत्रिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :—

- 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.काम./बी.एस.—सी/बी.एच.एस.—सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागु होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने की पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से प्रमाणपत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे राज्य से बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथपत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/ विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।
- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अंतिम के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

- 8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी—केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 उपरोक्त कांडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रवेश छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएँ :-

- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जाएगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण—पत्र तथा शपथ—पत्र जिससे प्रमाणित हो की पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर की नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है और या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में पूर्व रूप में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं।
- 9.3 महाविद्यालय में तोड़—फोड़ करने और महाविद्यालय के सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैंगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश देने के लिए अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जाँच करवाये एवं रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।
- 9.4 (क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के जुलाई की स्थिति में कि जाएगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगी।
- (ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारतसरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी भी सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
- (ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

- (घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ङ) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडे वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।
- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी के उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि से उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :—

- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से लिया जायेगा।
- (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर, तथा
- (ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।
- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग—अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :—

- 11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर/अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।
- 11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला के स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीप स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों में समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूहों के अध्ययन

की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

- 11.5 परंतु उपरोक्त प्रावधान स्वाशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12 आरक्षण :-

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा अर्थात् -

- (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछडे वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगी।

परंतु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती है तो अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परंतु यह और कि पूर्वगामी परंतु क में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथि पर रिक्त रह जाती है तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

- 12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर रूप से अवधारित किया जाएगा।

- (2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्रमांक 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

- 12.3 स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के पुत्र व पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों के प्राप्ताकों को 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

- 12.4 सभी वर्गों के उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

- 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा

विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे – स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की सह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

- 15.6 आरक्षित का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- 12.8 समय—समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कंडिका 12.1 में दर्शायी गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अधीन रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक ८३/२०१२ नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि— **We direct the Centre and the state Government to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institution and for public appointments.**

13. अधिभार :—

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए की प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण—पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/ जमा किये जाने वाले प्रमाण—पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार की देय होगा।

- 13.1 एन.सी.सी./एन.एस./स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/सेवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

(क) एन.एस.एस. / एन.सी.सी.	'ए' सर्टिफिकेट	02
प्रतिशत		
(ख) एन.एस.एस. / एन.सी.सी.	'बी' सर्टिफिकेट	03
प्रतिशत		
या द्वितीय सोपानउत्तीर्ण स्काउट्स		
(ग) सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स		04
प्रतिशत		
(घ) राज्य स्तरीय संचालनयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04	प्रतिशत
(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को		05 प्रतिशत
(छ) राज्यपाल स्काउट्स		05 प्रतिशत
(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स		10 प्रतिशत
(झ) छत्तीसगढ़ का सबसे सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट		10 प्रतिशत
(य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्गअवार्डप्राप्त एन.सी.सी. केडेट		15 प्रतिशत

	(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिए चयनित करने वाले विद्यार्थियों को।	15 प्रतिशत
13.2	आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत	
13.3	खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/किंवज/स्पांकन प्रतियोगिताएँ :—	
	(१)लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतरसभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :—	
	(क)प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत	
	(ख)व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत	
13.4(1)	उपर्युक्त कंडिका में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतरसभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रिय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में—	
	(क)प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत	
	(ख)व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत	
	(ग)संभाग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत	
	(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :—	
	(क)व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत	
	(ख)प्रथम, द्वितीय, अथवा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत	
	(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत	
13.4	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत	
13.5	छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :—	
	(क)छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत	
	(ख)प्रथम, द्वितीय, अथवा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत	
13.6	जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत	
13.7	विशेष प्रोत्साहन:—	
	छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है।	
	(१)इस प्रकार के प्रमाण—पत्र को संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रापणित किया गया हो, एवं	
	(२) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।	
13.8	प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण—पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक का प्रमाण—पत्रों अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु सत्र में प्रमाण—पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।	

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :—

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा में संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणाक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उसकी अधिक हो।

15. शोध छात्र :—

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी.के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाईजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकते हैं। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाईजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाईजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्थान में अपना शोध कार्य चालू रख सकता है जहाँ से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

विशेष :—

- 16.1 जाली प्रमाण पत्र गलत जानकारी जान-बूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे निरस्त करने की पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होंगे।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्ण अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों से लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा संस्था निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य काई शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न करने का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

नोट—उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यदि परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना महाविद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय की विभिन्न समितियों के प्रभार

डॉ. एस. अग्रवाल, प्राचार्य एवं संरक्षक

- | | |
|---|--|
| 1. डॉ. एच. एन. दुबे सहा. प्रा. (राजनीति शास्त्र) | — क्रय समिति, अपलेखन समिति, यू.जी.सी., रूसा, विधिक साक्षरता। |
| 2. श्रीमती प्रतिभा कश्यप सहा. प्रा. (समाजशास्त्र) | — शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, स्पर्श सेल, सांस्कृतिक गतिविधि समिति, एल्युमनी प्रकोष्ठ, ग्रंथालय समिति। |
| 3. डॉ. कल्याणी जैन सहा. प्रा. (हिंदी) | — छात्र संघ, युवा उत्सव एवं साहित्यिक गतिविधि समिति, शिक्षक पालक समिति, स्वच्छता समिति। |
| 4. श्री सी.बी. मिश्रा सहा. प्रा. (वाणिज्य) | — राष्ट्रीय सेवा योजना, रेडक्रॉस, रेड रिबन एवं इको क्लब, आंतरिक अंकेक्षण समिति, क्रीड़ा। |
| 5. डॉ. व्ही. के. झा सहा. प्रा. (रसायन शास्त्र) | — नैक सेल, रेगिंग निवारण समिति, अनुषासन समिति, सेमिनार, स्वयंम प्रकोष्ठ। |
| 6. श्री टी.आर. राहंगडाले सहा. प्रा. (वनस्पति शास्त्र) | — आंतरिक परीक्षा प्रकोष्ठ, सूचना अधिकार, एक भारत श्रेष्ठ भारत। |
| 7. डॉ. चन्दन कुमार अग्रवाल सहा. प्रा. (जन्तु विज्ञान) | — आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ, कैरियर गाइडेन्स, काउंसलिंग, प्लेसमेंट, मीडिया सेल। |
| 8. श्री आनंद कुमार पैकरा सहा. प्रा. (अर्थशास्त्र) | — एस.टी. / एस.सी. सेल, लोक सेवा गारंटी प्रकोष्ठ। |
| 9. श्री यशवंत सिंह शाक्या | — छात्रावास अधीक्षक |
| 10. श्री आर.पी. सिंह. सहा. ग्रेड-01 | — स्था. छात्रवृत्ति, अशासकीय लेखा, प्रवेश, आवक-जावक |
| 11. श्री चन्द्रभूषण मिश्रा प्रयोगशाला शिक्षक – | — विज्ञान संकाय |
| 12. श्री संजय कुमार सिंह | — विज्ञान संकाय |
| 13. श्री अनुराग तिवारी, बुक लिफ्टर | — ग्रंथालय प्रभारी |
| 14. श्री सुरेश सिंह, भृत्य | |
| 15. श्री रामाधार पात्रे, स्वीपर | |